नियम और शर्तें

DCB BANK

नियम और शर्तें

दस्तावेज में उन सभी खातों पर लागू होंगे जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित बैंकिंग कंपनी डीसीबी बैंक और 601 और 602 में पंजीकृत इसके पंजीकृत कार्यालय, प्रायद्वीप बिजनेस पार्क, 6 वीं मंजिल, टॉवर ए, सेनापतिबापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013 के साथ मौजूद हैं या भविष्य में किसी भी समय खोले जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण:

- शब्द 'मैं' और / या 'मेरा' और / या 'हम' उस व्यक्ति को संदर्भित करते हैं जो खाता खोलता है और इसमें एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल होंगे।
- 'बैंक' और / या 'डीसीबी बैंक' शब्द डीसीबी बैंक और उसकी किसी भी शाखा और उसके उत्तराधिकारियों और नियुक्तियों को संदर्भित करेंगे।
- लिंग के किसी भी संदर्भ में पुरुष / स्त्री और तृतीय लिंग शामिल होगा।
- शब्द "खाता" और / या "खाता" का अर्थ बाद में किसी भी खाते से होगा जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है।
- "ग्राहक" शब्द का अर्थ है एक व्यक्ति जो एक खाता खोलता है और / या फिर यहां उल्लिखित किसी भी सुविधा का लाभ उठाता है।
- "व्यक्ति" शब्द में व्यक्ति, साझेदारी फर्म, कंपनियां, व्यक्तियों के संघ, एचयूएफ, समाज और ट्रस्ट शामिल होंगे।

जमा

A. बचत खाता

मैं चेक जारी करने से पहले अपने बचत खाते में पर्याप्त शेष राशि सुनिश्चित करने के लिए सहमत हूं। बैंकिंग सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1988 द्वारा पेश किए गए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत हमें जानकारी है, जिसके अनुसार चेक के आहकर्ता को अपूर्णता आदि के लिए चेक के अनादर के मामले में दंडित किया जा सकता है। तदनुसार, मैं / हम यह सुनिश्चित करेंगे कि चेक केवल पर्याप्त धनराशि / खाते की राशि के बराबर राशि के बराबर राशि के बराबर राशि के खिलाफ खाते में खींचा जाए। बैंक के पास सभी खातों की समीक्षा करने और आंतरिक नीतियों के अनुसार उचित कार्रवाई करने की शक्ति है, जिन सभी खातों में चेक रिटर्न अक्सर प्राप्त होते हैं। ऐसी आंतरिक नीतियां बैंक के विवेकाधिकार से भिन्न हो सकती हैं।

इसके द्वारा मैं समझता हूं कि, अन्य बातों के अलावा, विभिन्न योजना कोड के तहत बचत बैंक खाते के बचत बैंक खाते के लिए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता बैंक खाते पर लागू होगी और इस प्रकार यह सुसंगत है। बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध अद्यतन जानकारी एसओसी (SOC) के साथ संलग्न है।

1. कॉर्पोरेट पेरोल अकाउंट्स:

a) सॅलरी क्रेडिट्सके रिव्हर्सल: मैं नियोक्ता / कंपनी के अनुरोध पर, क्रेडिट के डेबिट / रिवर्सल द्वारा वसूली के लिए बैंक को अपरिवर्तनीय रूप से और बिना शर्त अधिकृत करता हूं, कोई भी अतिरिक्त राशि और / या नियोक्ता / कंपनी के निर्देशों के अनुसार , मुझे किसी संदर्भ या सूचना के बिना मेरे खाते में जमा किया गया है। बैंक द्वारा किए गए ऐसे किसी भी डेबिट / रिवर्स ऑफ क्रेडिट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

b) कॉर्पोरेट पेरोल को बंद करना: मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा खाता नियोक्ता / कंपनी के साथ मेरी नौकरी के आधार पर बैंक में खोला गया है और इसे "कॉर्पोरेट पेरोल" के रूप में नामित किया गया है।

c) मैं समझ गया हूं कि नियोक्ता / कंपनी और बैंक के बीच की व्यवस्था के अनुसार, मैं बैंक के विवेक पर नियोक्ता / कंपनी कॉर्पोरेट पेरोल पर कुछ सुविधाओं का हकदार हो सकता हूं, केवल चालान के समय, मैं सहमत हूं कि मेरे द्वारा खोले गए इस कॉर्पोरेट पेरोल के लिए, डीसीबी बैंक इसे नियमित बचत खाते में बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तदनुसार, न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता लागू सेवा शुल्क में भिन्न होने जा रही है। "नियोक्ता / कंपनी" शब्द का अर्थ उस कॉर्पोरेट से है जिसमें मैं काम करता हूं और जिसके अनुरोध पर बैंक में वेतन खाता खोला गया है।

2. नाबालिग खाता:

a. एक नाबालिग खाता बच्चे की ओर से उसके प्राकृतिक अभिभावक द्वारा या सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा नियुक्त अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। माता-पिता बैंक के साथ सभी लेनदेन में कम उम्र के बच्चे का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं सहमत और सहमत हूं कि चेक बुक, मोबाइल और नेट बैंकिंग पासवर्ड, डेबिट / एटीएम कार्ड और व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) मेरे जोखिम और पत्राचार के लिए अधिसूचित पते पर प्रभाव पर कूरियर (या बैंक के विवेक पर किसी अन्य मोड) द्वारा भेजी जाएगी। मैं इन वस्तुओं के ऐसे प्रेषण के संबंध में किसी भी तरह से बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा।

b. माता-पिता इस बात से सहमत हैं कि एक नाबालिग का खाता किसी भी ओवरड्राफ्ट या किसी भी ऋण सुविधा के लिए पात्र नहीं होगा।

c. यदि किसी कारण से अपर्याप्त शेष राशि है या नाबालिग के खाते को ओवर-ऑफ कर दिया गया है, तो बैंक को उस खाते पर निकाले गए किसी भी चेक को अस्वीकार करने का अधिकार होगा, बिना किसी परिणाम के उत्तरदायी होने के, जिससे बैंक को उस खाते पर निकाले गए किसी भी चेक को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

d. माता-पिता सहमत हैं कि एटीएम / डेबिट कार्ड जारी करने पर, एटीएम / डेबिट कार्ड उपयोग के लिए उल्लिखित और लागू सभी नियम और शर्तें लागू होंगी।

माता-पिता सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि एटीएम / डेबिट कार्ड के उपयोग के साथ नाबालिग द्वारा पैसे की निकासी से उत्पन्न देयता माता-पिता द्वारा ग्रहण की जाएगी और इसे एकल माता-पिता द्वारा निर्वहन किया जाएगा। माता-पिता एटीएम / डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से नाबालिग के खाते से पूरी तरह से बंधे होंगे।

e. माता-पिता इस बात से सहमत हैं कि बैंक नाबालिग के खाते से सभी शुल्क, ब्याज, खर्च या अतिरिक्त राशि की वसूली का हकदार होगा, बिना उसके किसी भी खाते में डेबिट करने का कोई नोटिस दिए। माता-पिता बैंक को सभी कार्यों, दावों, मांगों, मुआवजे का भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

f. इसके अलावा, माता-पिता किसी भी समय बैंक को होने वाले नुकसान, हानि, व्यय, शुल्क और जो भी नुकसान और उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सहमत होते हैं, या खुदरा खाता खोलना और एटीएम / डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके निकासी / लेनदेन करना, नाबालिग के खाते में माता-पिता द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन / निकासी और किसी भी दावे के लिए।

g. एक खाता नाबालिग की ओर से उसके प्राकृतिक अभिभावक द्वारा या सक्षम अधिकार क्षेत्र के अदालत द्वारा नियुक्त अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। उपरोक्त अनुच्छेद में किसी भी विवरण के सभी लेन-देन में, माता-पिता नाबालिग का प्रतिनिधित्व करेंगे जब तक कि वह नाबालिग वयस्कता प्राप्त नहीं करता है। नाबालिग के परिपक्वता प्राप्त करने के बाद खाता चलाने का अभिभावक का अधिकार समाप्त हो जाएगा। माता-पिता किसी भी व्यक्ति के लिए उपरोक्त नाबालिग के दावे के खिलाफ बैंक को मुआवजे का भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

h. **वयस्क दर्जा प्राप्त करने के बाद रूपांतरण:**

बैंक से एक संचार पत्र ग्राहक को भेजा जाएगा जिसमें उसे अपने खाते के नियमित खाता प्रकार, खाते में परिवर्तित होने की सुविधा के बारे में सूचित किया जाएगा। ग्राहक द्वारा परिपक्वता प्राप्त करने पर, बैंक को खाते को फ्रीज करने का अधिकार होगा। नियमित खाता प्रकार पर लागू ग्राहक (नाबालिग) द्वारा खाता खोलने की सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही फ्रीज किया जाएगा।

i. वयस्कता के बाद: ग्राहक द्वारा परिपक्वता की प्राप्ति की तारीख से पहले अभिभावक द्वारा जारी किए गए और खाते के रूपांतरण के बाद समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए गए किसी भी चेक का बैंक द्वारा सम्मान नहीं किया जाएगा। ग्राहक द्वारा परिपक्वता प्राप्त करने पर, अभिभावक को खाता संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. मूल बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) / लघु खाता :

a) हम जानते हैं कि उत्पाद को यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है कि निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों की अपनी पहचान और पते को स्थापित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थता से उन्हें वित्तीय रूप से बहिष्कार नहीं किया जाता है और बैंकिंग सेवाओं से वंचित नहीं किया जाता है। उन व्यक्तियों के संबंध में खाता खोलने के लिए एक सरल प्रक्रिया प्रदान की गई है जो ₹50,000 से अधिक की शेष राशि या अन्य ऐसी शेष राशियों को बनाए नहीं रखना चाहते हैं जो बैंक द्वारा समय-समय पर अपने विवेक पर निर्धारित की गई हों, और एक वर्ष में इसकी कुल जमा राशि ₹1,00,000 या अन्य शेष राशि से अधिक होने की उम्मीद नहीं है, जिसे बैंक ने समय-समय पर अपने विवेक पर निर्धारित किया हो। यदि खाते या क्रेडिट की शेष राशि एक वर्ष में निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है, तो ग्राहक के खाते को तब तक फ्रीज कर दिया जाएगा जब तक कि ग्राहक नियमित बचत खाते में आवश्यकतानुसार अपनी पहचान और पते का प्रमाण स्थापित नहीं करता है।

b) डीसीबी बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) के लिए आवेदन:

(i) हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारे पास किसी अन्य बैंक में बीएसबीडी खाता नहीं है।

(ii) हम बीएसबीडीए खाता खोलने के 30 दिनों के भीतर बैंक में मौजूदा बचत बैंक खाते को बंद करने की प्रतिज्ञा करते हैं।

(iii) हम जानते हैं कि मैं / हम बैंक में कोई अन्य बचत बैंक खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होंगे।

B. चालू खाता

1. मैं / हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस चालू खाते को खोलते समय मुझे बैंक की किसी भी शाखा या किसी अन्य बैंक में ऋण सुविधाओं का आनंद नहीं मिलता है। मैं किसी अन्य बैंक से किसी भी क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाने पर बैंक को लिखित रूप में सूचित करने का वादा करता हूं।
2. मैं / हम ओवरड्राफ्ट की राशि को चुकाने के लिए सहमत हैं जो बैंक समय-समय पर बैंक द्वारा मांगे गए अनुसार ब्याज के साथ भुगतान कर सकता है। मैं / हम सहमत हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक मुझे कोई क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य है।
3. मैं यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत हूं कि चेक जारी करने से पहले शेष राशि मेरी चालू खाता व्यवस्था से अधिक न हो। मैं / हम जानते हैं कि बैंकिंग सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कानून (संशोधन) अधिनियम 66 द्वारा 1988 के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लॉ (संशोधन) अधिनियम 66 द्वारा पेश किए गए हैं।

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत, 1988 के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (संशोधन) एक्ट 66 के अनुसार, चेक के आहाताकर्ता को खाते में धन की अपर्याप्तता के लिए चेक के अनादर के मामले में जुर्माना लगाया जाता है। पीठ ने कहा, 'तदनुसार, हम केवल यह सुनिश्चित करेंगे कि चेक जारी की जाने वाली राशि के बराबर खाते में पर्याप्त धन / स्पष्ट शेष राशि के खिलाफ चेक निकाले जाएं। बैंक को आंतरिक नीतियों के अनुसार ऐसे सभी खातों की समीक्षा करने और ऐसे सभी खातों की समीक्षा करने का अधिकार है, जिनमें चेक रिटर्न अक्सर प्राप्त होते हैं, और उचित कार्रवाई करते हैं।

रेरा नामित खाते

हम समझते हैं कि रेरा खाते का संचालन लागू नियामक दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा,

जिसमें लिंक किए गए चालू खातों को धन जारी करना और निर्धारित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के अधीन कोई अन्य नियामक दिशानिर्देश और कोई अन्य नियामक दिशानिर्देश जो रेरा खातों को खोलने, संचालन और संचालन के लिए लागू हो सकते हैं, जिसमें किसी भी अन्य नियामक दिशानिर्देशों के "समय-समय पर" शामिल हैं जो रेरा खातों को खोलने, संचालन और संचालन पर लागू हो सकते हैं।

C. फिक्स्ड डिपॉझिट

a. मैं इस बात से सहमत हूं कि सावधि जमा पर अर्जित ब्याज पर निर्धारित आयकर भारत सरकार द्वारा निर्देशित स्रोत पर काटा जाएगा।

b. हम बैंक के वित्तीय वर्ष के अंत में सावधि जमा पर ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती के लिए निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहमत हैं जो हर साल 1 अप्रैल से शुरू होगा और हर साल 31 मार्च को समाप्त होगा।

c. मैं / हम इस बात से सहमत हैं कि बैंक के प्रचलित नियमों के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, निपटान के मेरे / हमारे लिखित अनुदेशों के अभाव में, बैंक जमा राशि को नवीनीकृत करने के लिए अपने विवेक पर उसी नाम से अर्जित ब्याज के साथ ब्याज जमा के साथ जमा राशि को नवीनीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और मूल अवधि जमा की ब्याज दर पर समान अवधि के लिए थी।

d. मैं / हम इस बात से सहमत हैं कि यदि बैंक मुझे / हमारी सावधि जमा की समय पूर्व राशि निकालने की अनुमति देता है, तो पहले से चुकाया गया ब्याज या जुर्माना वसूला जा सकता है।

ऍडव्हान्सेस

A. ओवरड्राफ्ट खाते / सुविधाएं

1. यह देखते हुए कि बैंक ने मुझे / हमें एक अस्थायी ओवरड्राफ्ट / सहमति प्रदान की है पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक राशि के लिए सुविधा, (जो 90% या उससे अधिक नहीं होगी, वह राशि जो मेरी ओर से सावधि जमा में बैंक के पास रखी जाएगी)। मैं / हम इस बात से सहमत हूं, रिकार्ड करता हूं और पुष्टि करता हूं कि ऐसी सावधि जमाराशियों की राशि पर बैंक का प्रथम प्रभार होगा जिसका अर्थ यह होगा और मेरे / हमारे ऋण में जमा की गई सभी राशि को अवधि, बैंक के पास जमा खाते और ऐसी राशि जमा / जमा की जाने वाली राशि में शामिल किया जाएगा। चाहे किसी भी राशि के नवीकरण या हस्तांतरण के माध्यम से अधिशेष हो, अर्थात हम सभी के संबंध में और सभी के संबंध में प्राप्त किसी भी ब्याज के संबंध में बैंक को भुगतान करेंगे और किसी भी समय या समय-समय पर देय सभी राशियों की मांग पर और अस्थायी ओवरड्राफ्ट सुविधा के संबंध में बैंक को भुगतान किया जाएगा। और सभी ब्याज, व्यय, शुल्क, व्यय और अन्य राशियां जो मेरे द्वारा देय और देय हो सकती हैं।
2. मैं / हम अपरिवर्तनीय रूप से और बिना शर्त सहमत हैं कि बैंक को मुझे कोई नोटिस दिए बिना किसी भी समय इस अस्थायी ओवरड्राफ्ट सुविधा को बंद करने या समाप्त करने का अधिकार होगा।
3. मैं / हम इसके द्वारा अपरिवर्तनीय और बिना शर्त बैंक को बैंक बकायों के लिए ऐसी सावधि जमा राशि को ठीक से समायोजित करने और निर्धारित करने के लिए अधिकृत करते हैं, चूंकि बैंक मुझसे मांगी गई राशि का भुगतान करने में विफल रहा है, इसलिए बैंक की अपने पुनर्भुगतान के लिए मेरी / हमारी देयता की मांग महत्वपूर्ण है।
4. मैं / हम अपनी सहमति के आधार पर बैंक को अपनी सहमति के आधार पर, समाप्ति की तारीख से पहले सावधि जमा के सभी या किसी भी हिस्से को समाप्त करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से और बिना शर्त अधिकृत करते हैं।

निर्देशों में स्वीप-इन:

1. हम सहमत हैं कि सभी स्वीप-इन खातों का शीर्षक एक ही होगा।
2. हम सहमत हैं कि सभी स्वीप-इन जमा केवल पूर्वनिर्धारित अवधि के लिए होंगे।
3. हम बैंक को पूर्ण दिशा द्वारा गठित जमा की इकाइयों को तोड़ने का अधिकार देते हैं यदि अपूर्ण शेष राशि है और / या खाते में शेष राशि (बचत / चालू खाता) मेरी / हमारी लिंक की गई सीमा सीमा से कम है।

एटीएम उपयोग करने योग्य कार्ड

(1) **शुल्क:** हम इस बात से सहमत हैं कि एटीएम उपयोग करने योग्य कार्ड और अन्य सभी करों से संबंधित सभी शुल्क / कर / अधिभार / सेवा शुल्क और अन्य सभी करों को बैंक द्वारा मेरे / हमारे खाते डेबिट में वसूल किया जा सकता है।

(2) **लेन-देन की जिम्मेदारी :** मैं / हम अपने एटीएम उपयोग करने योग्य कार्ड के उपयोग के माध्यम से संसाधित सभी प्रकार के लेनदेन के लिए जिम्मेदार होंगे, चाहे वे मेरी जानकारी के साथ संसाधित किए गए हों या नहीं या सही, व्यक्त या निहित हों। मैं / हम बैंक लेनदेन के रिकॉर्ड को निर्णायक और सभी उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी के रूप में स्वीकार करेंगे।

(3) **नकद निकासी सीमा:** मुझे एटीएम के माध्यम से पैसे निकालने की अनुमति होगी, चाहे मेरे खाते में क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो, प्रति दिन केवल पूर्व-परिभाषित नकदी। यह राशि बैंक द्वारा तय की जाएगी और मुझे / हमें सूचित किए बिना बैंक के विवेक पर किसी भी समय बदली जा सकती है। हम सहमत हैं कि नकद निकासी समय-समय पर लागू कर के अधीन होगी।

(4) ओवरड्रान खाते: हम सहमत हैं कि एटीएम से अधिक पैसा जमा करने की कोशिश न करें जब तक कि मेरे खाते में पर्याप्त धन उपलब्ध न हो। पर्याप्त खाता शेष सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से मुझ पर है। यदि एटीएम से नकदी की निकासी के कारण मेरी / हमारी खाते की राशि अधिक निकाली जाती है, तो मैं / हम तुरंत खाते की शेष राशि में सुधार करने के लिए सहमत हैं। यदि मेरी / हमारी खाते की राशि अधिक निकाली जाती है, तो बैंक कोई भी शुल्क ले सकता है, जो बैंक डेबिट पर लगाए गए किसी भी ब्याज के अलावा उचित प्रतीत हो सकता है।

(5) जमा:

a) हम चेक ड्रॉप बॉक्स में कोई नकद जमा **नहीं करेंगे या** अन्य दस्तावेजों / भुगतानों के संग्रह के लिए **ड्रॉप बॉक्स में कोई नकदी जमा नहीं करेंगे।** मैं सहमत हूं और स्वीकार करता हूं कि यदि मैं / हम गलत चेक ड्रॉप बॉक्स या ड्रॉप **बॉक्स में कोई चेक / नकद जमा करते हैं, तो बैंक** इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार या जिम्मेदार नहीं होगा।

b) हम स्वीकार करते हैं कि चेक ड्रॉप बॉक्स में जमा करने के लिए जमा किए गए किसी भी चेक के लिए कोई रसीद जारी नहीं की जाएगी।

c) मैं / हम समझते हैं कि बैंक मेरे / हमारे द्वारा भरी **गई पे-इन-स्लिप में मेरे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जमा किए** गए चेक को संसाधित करेगा। इस संबंध में मेरे / हमारे द्वारा दी गई गलत जानकारी के कारण बैंक को किसी भी दुवनियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। हम किसी भी परिणाम के लिए बैंक को हानिरहित बना देंगे।

(6) **पिन:** मैं / हम समझते हैं कि बैंक मुझे / हमें एक विशिष्ट पिन (व्यक्तिगत पहचान **संख्या) वितरित** करेगा जो मुझे / हमें एटीएम के माध्यम से अपने खाते तक पहुंचने की अनुमति देगा। बैंक एक सीलबंद लिफाफे में पिन भेजेगा। प्राप्ति के बाद, मैं / हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह मुझे / हमें एक सीलबंद लिफाफे **में प्राप्त हो।** हम पिन की गोपनीयता बनाए रखने और किसी भी तीसरे पक्ष को पिन का खुलासा नहीं करने के लिए जिम्मेदार होंगे। हम मेमोरी को पिन करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे **और** लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में **पिन** रिकॉर्ड **नहीं कर सकते।**

(7) **कार्ड की वैधता:** मैं / **हम सहमत हैं** कि एटीएम उपयोग करने योग्य कार्ड हमेशा बैंक की संपत्ति होता है। एटीएम उपयोग करने योग्य कार्ड की वैधता अवधि कार्ड के चेहरे पर उल्लिखित होगी। मैं / हम खाता बंद होने या किसी भी कारण से बैंक द्वारा मांगे जाने पर बैंक को कार्ड देने के लिए सहमत हैं।

(8) **खोया हुआ कार्ड:** यदि मेरा / हमारा एटीएम उपयोग करने योग्य कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या अन्यथा खो गया है, तो मैं / हम तुरंत बैंक को घटना की लिखित रिपोर्ट देने या फोन बैंकिंग पर कॉल करने के लिए सहमत हैं। हम समझते हैं कि एटीएम उपयोग करने योग्य कार्ड बैंक को कार्य दिवस पर ही या 24 घंटे के बाद, जो भी उसके बाद कार्य दिवस पर होगा, **ऐसे निर्देश प्राप्त करने के बाद रद्द कर दिया जाएगा। एटीएम** उपयोग करने योग्य कार्ड के दुरुपयोग के कारण बैंक किसी भी नुकसान के लिए **उत्तरदायी नहीं होगा,** इस स्थिति में मैं / हम बैंक के साथ शिकायत दर्ज करेंगे और बैंक वास्तव में इसे रद्द कर देगा जैसा कि यहां निर्धारित किया गया है।

(9) **कार्ड की सुरक्षा:** हम अपने एटीएम **उपयोग करने योग्य कार्ड को सुरक्षित रखने** और एटीएम को उपयोग करने योग्य कार्ड किसी भी व्यक्ति को नहीं देने के लिए सहमत हैं, जो किसी भी व्यक्ति को एटीएम उपयोग करने योग्य कार्ड जारी नहीं करने के लिए सहमत है, जिसमें प्रतिनिधि या बैंक का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति **शामिल है। मैं / हम समझते हैं कि** एटीएम उपयोग करने योग्य कार्ड के दुरुपयोग के **लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।**

(10) **लेन-देन पूरा ना होना:** हम समझते हैं कि बैंक या मजबूर घटना नियंत्रण से परे कारणों के कारण होती है, जैसे कि बिजली की आपूर्ति का कनेक्शन काटना / एटीएम मशीन में संपर्क की हानि / यांत्रिक समस्या / वांछित लेनदेन पूरा करने में विफलता के मामले में समस्या / सिस्टम में समस्या आदि। हम समझते हैं कि किसी भी एटीएम लेनदेन को पूरा नहीं करने के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। सिस्टम के कारण, मैं / हम भी समझते हैं, रखरखाव / एटीएम त्रुटि, एटीएम आई / हम नकदी की पूरी मात्रा वितरित नहीं कर सकते हैं। मैं / हम समझते हैं कि ऐसी स्थिति में, मैं / हम बैंक नहीं रखेंगे। यदि अनुरोधित नकदी प्राप्त नहीं होती है तो उत्तरदायी नहीं होगा।

जैसे बिजली की आपूर्ति में व्यवधान / संचार खोना / यांत्रिक समस्याएं / एटीएम मशीन / सिस्टम की समस्याएं आदि। एटीएम मनचाहा ट्रांजेक्शन पूरा **नहीं कर पाएगा।** मैं / हम समझते हैं कि बैंक किसी भी एटीएम लेनदेन को पूरा न करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मैं / हम यह भी समझते हैं कि सिस्टम रखरखाव / एटीएम त्रुटियों के कारण, एटीएम में / हम एटीएम पर मांगी गई पूरी राशि वितरित नहीं कर सकते हैं। मैं / हम समझते हैं कि ऐसी स्थिति में, मैं / हम अनुरोधित नकदी **प्राप्त नहीं करने के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे।**

(11) एटीएम लेनदेन से संबंधित खातों में गलत प्रविष्टियां: अगर मुझे पता चलता **है** कि मेरे / हमारे द्वारा नहीं किए गए एटीएम लेनदेन के लिए मेरे खाते में गलत प्रविष्टि डेबिट की गई है, तो मैं / हम तुरंत इस मुद्दे को अपनी / हमारी होम ब्रांच **के साथ उठाएंगे।** मैं / हम समझते हैं कि बैंक मेरे / हमारे लिए बाध्यकारी है और इसकी **गहन जांच करेगा और** अपने अंतिम निष्कर्षों के साथ **मेरे पास वापस आएगा** और बैंक का निर्णय अंतिम रहेगा।

(12) **ऑडिट ट्रेल किसी भी विवाद के मामले में अंतिम और निर्णायक होगा:** मैं / हम **इस बात से सहमत हैं** कि किसी भी विवाद के मामले में, बैंक सभी विवादों में अंतिम और निर्णायक साक्ष्य के रूप में एटीएम के ऑडिट ट्रेल (या तो मुद्रण योग्य या गैर-संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में) का उपयोग करेगा। मैं / हम ऑडिट ट्रेल की रिकॉर्डिंग का अनुपालन करने के लिए सहमत हैं।

(13) यदि, मुझे एटीएम से विकृत / फटे / कटे हुए नोट प्राप्त होते हैं, तो मैं / हम उस बैंक की शाखा में जाएंगे, जहां मैंने खोला है। एक खाता और एक पत्र और लेन-देन पर्ची जमा करके मुद्रा (नोट) बदलें और **पुष्टि करें** कि मैंने / हमने एटीएम **में लेनदेन किया है। दावे के किसी अन्य** रूप पर विचार नहीं किया जाएगा।

फॉर्म

फेमा घोषणा (डिक्लरेशन-कम-अंडरटेकिंग)

[विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की **धारा** 10 (5) **के तहत** अध्याय 3]

मैं / हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि लेन-देन विवरण विशेष रूप से इसके तहत अनुसूची में उल्लिखित हैं और उक्त अधिनियम या किसी नियम के प्रावधानों के उल्लंघन या चोरी के उद्देश्य से या किसी भी नियम, **विनियम,** अधिसूचनाओं, निर्देशों या आदेशों **के तहत डिज़ाइन नहीं** किए गए हैं।

मैं भी इसके द्वारा सहमत हूं और ऐसी जानकारी / दस्तावेज प्रदान करने का **वादा करता हूं जो** उपरोक्त घोषणा के संदर्भ में इस लेनदेन के साथ आपको यथोचित रूप से संतुष्ट **करेगा।**

मैं / हम यह भी समझते हैं कि यदि मैं / हम ऐसी किसी भी आवश्यकता का अनुपालन करने से इनकार करते हैं या असंतोषजनक अनुपालन का अनुपालन करने से इनकार करते हैं, तो बैंक लिखित रूप में लेनदेन करने से इनकार कर देगा और यदि यह विश्वास करने का कोई कारण है कि मेरे / हमारे द्वारा किसी उल्लंघन / चोरी पर विचार किया गया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक को इसकी रिपोर्ट करें।

हम आगे घोषणा करते हैं कि अधोहस्ताक्षरी को फर्म / कंपनी की ओर से ये घोषणाएं और गारंटी देने का अधिकार है।

विदेशी मुद्रा के लिए आवेदक के हस्ताक्षर

* यह तब लागू होता है जब फर्म / कंपनी की ओर से एक घोषणा / वचन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।

शेड्युल

हमसे सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन समय-समय पर बैंक को सौंप दिए जाते हैं।

A. सभी खातों / सेवाओं पर लागू

1. हम लागू होने वाले बैंक के नियमों और शर्तों और विनियमों का पालन करने के लिए सहमत हैं और मेरे / हमारे खाते से संबंधित नियमों और शर्तों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों के लिए सहमत हैं।
2. हम इस बात से सहमत हैं कि खाता खोलना और उसका रख-रखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिनियमित या संशोधित नियमों और विनियमों के अधीन है।
3. हम सहमत हैं कि बैंक को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय मेरा खाता बंद करने की स्वतंत्रता होगी।
4. मैं / हम इस बात से सहमत हैं कि बैंक अपने विवेकाधिकार से मेरे / हमारे खाते में प्रदान की गई किसी भी सेवा / सुविधा को पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी भी समय एक महीने की सूचना देकर वापस ले सकता है।
5. मैं / हम इस बात से सहमत हैं कि मेरे खाते की स्थिति में किसी भी परिवर्तन या पते में परिवर्तन की सूचना तुरंत बैंक को दी जाएगी।
6. मैं / हम इस बात से सहमत हैं कि मेरे / हमारे खाते से संबंधित सभी अनुदेश बैंक को प्रपत्रों और सामग्रियों में लिखित रूप में संतोषजनक रूप से जारी किए जाएंगे।
7. मैं सहमत हूं और सहमत हूं कि चेकबुक, फोन बैंकिंग टेलीफोन पहचान संख्या (टिन), मोबाइल और नेट बैंकिंग पासवर्ड, डेबिट / एटीएम कार्ड और व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) मेरे जोखिम पर कूरियर (या बैंक के विवेक पर किसी अन्य मोड) द्वारा और हमारे जोखिम पर हमारे द्वारा अधिसूचित पते और पत्राचार के लिए हमारे द्वारा अधिसूचित पते पर भेजी जाएगी।
8. हम स्वीकार करते हैं कि चेक ड्रॉप बॉक्स में किसी भी चेक जमा के लिए कोई रसीद जारी नहीं की जाएगी।
9. मैं / हम समझते हैं कि बैंक मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पे-इन-स्लिप में चेक ड्रॉप बॉक्स में जमा चेक को विधिवत संसाधित करेगा। बैंक को इस संबंध में मेरे / हमारे द्वारा किसी भी गलत बयानी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। मैं / हम इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक को हानिरहित मानेंगे।
10. मैं / हम अपनी चेक बुक / एटीएम / डेबिट कार्ड को सावधानीपूर्वक संरक्षित करने के लिए सहमत हैं। इसके खो जाने / चोरी होने की स्थिति में, मैं / हम तुरंत लिखित में बैंक को सूचित करेंगे।
11. मैं / हम सहमत हैं कि मैं / हम अपने खाते में बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम शेष राशि रखेंगे।
12. मैं / हम सहमत हैं कि मैं / हम सभी प्रभारों, प्रभारों, ब्याज, खर्चों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जो बैंक आपके पूर्ण विवेक पर मेरे / हमारे खाते में या किसी भी लेनदेन के संबंध में प्रभारित कर सकता है और यह वही हो सकता है जो बैंक द्वारा मेरे खाते में डेबिट द्वारा वसूल किया गया है।
13. मैं / हम सहमत हैं कि मैं / हम खाता खोलने के समय बैंक के किसी भी बिक्री प्रतिनिधि को नकद में कोई राशि या सामान्य व्यवसाय में कोई लेनदेन नहीं देंगे। मैं / हम केवल टेलर काउंटर पर या एटीएम पर नकद जमा करने के लिए सहमत हैं।
14. मैं / हम सहमत हैं कि बैंक मुझे / हमें संचार / पत्र / चेकबुक आदि भेजेगा। बैंक अपने विवेकानुसार कूरियर / मैसेंजर / ई-मेल / एसएमएस / या किसी अन्य तरीके से होने वाली हानि या विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
15. मैं / हम सहमत हैं कि बैंक, जब तक मैं / हम लिखित अनुरोध नहीं करते, मेरा खाता खोलने पर चेक बुक जारी करेगा। चेक बुक का अगला बिंदु केवल मेरी लिखित मांग के खिलाफ होगा या एटीएम, फोन बैंकिंग या मोबाइल / नेट बैंकिंग के माध्यम से वैध लॉगिन का उपयोग करेगा।
16. मैं / हम इस बात से सहमत हैं कि किसी खाते की अधिक निकासी के मामले में, बैंक मुझे / हमें कोई नोटिस दिए बिना मेरे किसी भी खाते में पड़े किसी भी क्रेडिट के खिलाफ ऐसी अतिरिक्त राशि निकालने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

लिबरलाइज्ड रेमिटन्स योजना (स्कीम) के तहत घोषणा:

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि:

1. इस आवेदन के साथ, इस वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में सभी स्रोतों से खरीदी या भेजी गई विदेशी मुद्रा की कुल राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित USD 2,50,000 या समकक्ष की सीमा के भीतर है।
2. मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैं ऐसी खरीद / प्रेषण करने के लिए धन के स्रोत का मालिक हूं और मैं वादा करता हूं कि विदेशी मुद्रा का उपयोग निषिद्ध उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।
3. मैं भारत में रहने वाला व्यक्ति हूं। मैं कोई विदेशी नागरिक / अनिवासी भारतीय (एनआरआई) / भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) या भारत का प्रवासी नागरिक (ओसीआई) नहीं हूं।
4. मैंने पूंजीगत खाता लेनदेन के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत भेजने के लिए कोई ऋण / क्रेडिट नहीं लिया है।
5. यदि आप किसी निवेश / संपत्ति / विदेशी बैंक खाते के सह-स्वामी / सह-भागीदार नहीं हैं, तो मैंने अपने परिवार के

किसी भी सदस्य के साथ प्रेषण मूल्य को नहीं जोड़ा है।

ओ एफ ए सी घोषणा

I. हम घोषणा करते हैं कि लेनदेन में मेरा / हमारा प्रतिवादी पक्ष किसी भी मंजूरी से मुक्त है / मेरी / हमारी जानकारी के अनुसार, और यदि बाद में यह गलत पाया जाता है, तो मैं / हम पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

II. मैं / हम डीसीबी बैंक लिमिटेड यह किसी भी तरह से जवाबदेह नहीं होने का संकल्प लेता है, और लेनदेन के तहत भेजे गए धन किसी भी प्राधिकरण / सरकार / एजेंसी / बैंक की जब्ती या अवरुद्ध या जब्ती के कारण हैं। डीसीबी मेरे कारण हुए सभी नुकसान और नुकसान के लिए बैंक को पूरी तरह से मुआवजा देगा।

III. यदि बैंक को प्रेषण की राशि को किसी अन्य मुद्रा या इसके विपरीत या प्रकृति में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो मैं मुद्रा या क्रॉस करेंसी के जोखिम को सहन करने का वादा करता हूं।

IV. हम बैंक को विदेश में इस लेन-देन से संबंधित कोई भी सामग्री जानकारी, अभी या भविष्य में किसी भी प्राधिकरण / सरकार / एजेंसी / आपके प्रतिनिधि बैंक को आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करने का अधिकार देते हैं।

V. मेरा / हमारा विदेश में किसी भी सरकारी / एजेंसी / आपके कॉरेस्पोंडेंट बैंक के साथ लेन-देन का मामला है, बिना मुझे सूचित किए। बैंक को मुझसे / हमसे संबंधित कोई भी भौतिक जानकारी प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है।

B. फोन बैंकिंग

1. मैं / हम सहमत हैं कि मेरे अनुरोध पर, बैंक ने मुझे / हमें इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) और / या फोन बैंकिंग अधिकारी (एजेंट) के माध्यम से निर्देश देकर बैंकिंग लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।
2. हम जानते हैं कि इस तरह की सुविधा के संबंध में मुझे अपने ग्राहक पहचान संख्या और अपने / हमारे टेलीफोन पहचान संख्या (टिन) और / या मैनुअल सत्यापन जांच का उपयोग करके फोन बैंकिंग प्रणाली में खुद को पहचानने की आवश्यकता है।
3. बैंक के पास मेरे नाम पर टेलीफोन नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने का कोई साधन नहीं है। और मैं / हम बैंक को आगे नहीं रखने के लिए सहमत हैं। फोन बैंकिंग सेवाओं के प्रावधान से उत्पन्न किसी भी त्रुटि, दोष, विफलता या व्यवधान के कारण किसी भी कारण या कारण से मुझे / हमें हुए नुकसान या क्षति के लिए हम उत्तरदायी हैं।
4. हम सहमत हैं कि फोन बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होगी और मेरे / हमारे सभी मौजूदा खातों और अन्य सभी खातों पर लागू होगी जो समय-समय पर खोले जा सकते हैं।
5. मैं / हम बिना शर्त सहमत हैं कि मैं / हम इसके लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा।

a. हमारे टेलीफोनिक निर्देशों का अच्छी नीयत से पालन करने से होने वाले लेन-देन किसी भी टेलीफोनिक निर्देशों का पालन करने में देरी या अक्षमता का संकेत देते हैं।

b. ऐसे लेन-देन जो अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा दिए गए टेलीफोनिक अनुदेशों के अनुसार किए जाते हैं, जिन्होंने अवैध रूप से या अन्यथा मेरे / हमारे गोपनीय टिन तक पहुंच प्राप्त की हो।

c. जहां बैंक के लिए निर्देशों पर विश्वास करने का कारण है, ऐसे निर्देशों का कार्यान्वयन न होना वास्तविक नहीं है या अन्यथा अस्पष्ट, अनुचित, अस्पष्ट या संयुक्त खातों के मामले में हम में से किसी के द्वारा दिए गए किसी भी संदिग्ध को स्वीकार करने के सुझाव हैं।

6. हम सहमत हैं कि फोन पर दिए गए निर्देशों और लेनदेन का रिकॉर्ड बाध्यकारी साक्ष्य और सभी उद्देश्यों के लिए होगा और किसी भी कार्यवाही में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

C. बिल भुगतान सुविधा

1. मैं / हम फोन बैंकिंग / एटीएम / नेट के माध्यम से अपने / अपने बिल भुगतान करने के लिए मेरे अनुरोध पर बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को स्वीकार और स्वीकार करते हैं और बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग बिल भुगतान नोटिस स्वीकार करते हैं जो मेरे / हमारे द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे।
2. हम बिलिंग कंपनी के साथ पंजीकृत अपना उचित पहचान विवरण प्रदान करने के लिए सहमत हैं। हम इस संबंध में मेरे / हमारे द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए बैंक को किसी भी दायित्व से क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं।
3. हम सहमत हैं कि मेरी पहचान के विवरण में किसी भी बदलाव के मामले में, यह मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं बिलिंग कंपनी के साथ पंजीकृत इन परिवर्तनों के बारे में बैंक को तुरंत सूचित करूं।
4. मैं / हम इस बात से सहमत हैं कि यह सुविधा मेरे द्वारा प्रस्तुत विवरणों की बिलिंग कंपनी की पुष्टि प्राप्त होने पर मेरे / हमारे लिए उपलब्ध होगी।
5. मुझे बिलिंग कंपनी द्वारा बैंक को मेरा / हमारा बिलिंग विवरण प्रदान करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
6. मैं / हम इस बात से सहमत हैं कि सभी बिलिंग और भुगतान विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न किए जाएंगे और उसमें निहित जानकारी क्रमशः बिलिंग कंपनी और बैंक द्वारा बनाए गए कम्प्यूटरीकृत सिस्टम से निकाली जाएगी। बैंक स्टेटमेंट में किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार नहीं है और मैं / हम हमेशा बैंक को किसी भी नुकसान, हानि आदि के खिलाफ हानिरहित बना देंगे। यदि निहित जानकारी गलत / गलत पाई जाती है। इसलिए यह मेरे / हमारे द्वारा किया या सहन किया जा सकता है।
7. मैं / हम इस बात से सहमत हैं कि बिल के विवरण पर कोई भी विवाद मेरे / हमारे द्वारा सीधे बिलिंग कंपनी के साथ सुलझाया जाएगा और बैंक की देयता केवल सूचना के प्रावधान तक ही सीमित है।
8. हम उपयोगिता कंपनी के बिल के अनुसार देय राशि का भुगतान उसकी नियत तिथि की समाप्ति से पहले करने के लिए सहमत हैं और ऐसा नहीं करने पर मैं / हम विशेष रूप से बैंक को शामिल करने

के परिणामों के खिलाफ हानिरहित होंगे।

9. हम बिना शर्त सहमत हैं कि मैं / हम बैंक को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे:

a. ऐसे लेन-देन जो मेरे / हमारे निर्देशों पर सद्भावना से किए जाते हों।

b. ऐसे अनुदेशों का अनुपालन न करना जहां बैंक के लिए विश्वास करने का कारण है (बैंक के किस निर्णय पर)। मैं / हम ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे कि क्या अनुदेश वास्तविक नहीं हैं या अन्य जानकार अस्पष्ट, अनुचित या संदिग्ध हैं।

c. हम में से किसी के द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार करना (संयुक्त खातों के मामले में)।

d. किसी भी कारण से या किसी भी कारण से बिल भुगतान सेवाओं के प्रावधान में किसी त्रुटि, दोष, विफलता या व्यवधान के कारण मुझे / हमें हुए किसी भी नुकसान के लिए।

e. मुझे / हमें बिना पूर्व सूचना दिए सुविधा की निकासी / आंशिक निकासी / निलंबन।

f. हम सहमत हैं कि दिए गए निर्देशों का रिकॉर्ड और बैंक के साथ लेनदेन का रिकॉर्ड निर्णायक साक्ष्य और सभी उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी होगा और किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

10. हम सहमत हैं कि बैंक द्वारा तुरंत निष्पादित किए गए लेनदेन के अलावा, अर्थात, बैंक / बिलिंग कंपनी द्वारा केवल व्यवसाय के घंटों के दौरान संसाधित किया जाना चाहिए और यदि मूल्य तिथियां हैं, तो बैंक / बिलिंग कंपनी द्वारा तय किए गए परिचालन घंटों / दिनों का पालन करना होगा।

11. हम इस बात से सहमत हैं कि बैंक को किसी भी समय , बिल भुगतान सुविधा, या उसके तहत प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा, या सभी खातों के मामले में, हमें कोई नोटिस कारण दिए बिना पैसे निकालने की स्वतंत्रता है।

12. मैं / हम बैंक को लिखित में 15 दिनों की सूचना देने और मेरे / हमारे द्वारा प्राप्त बिल भुगतान सुविधा को समाप्त करने के लिए उसकी रसीद प्राप्त करने के लिए सहमत हैं।

13. हम इस बात से सहमत हैं कि एटीएम सेवाओं और फोन बैंकिंग सेवाओं पर लागू सभी शर्तें इस संबंध में मेरे लिए बाध्यकारी हैं।

D. मोबाइल बैंकिंग

1. **स्पष्टीकरण:**

इस खंड में, निम्नलिखित शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ उनके विपरीत रखा गया है जब तक कि संदर्भ अन्यथा इंगित न करे:

a. "मोबाइल बैंकिंग" का अर्थ है ग्राहक की बचत / चालू / ऋण खाता / सावधि जमा से संबंधित जानकारी तक पहुंच और उत्पादों और / या अन्य सेवाओं जैसे बैंक के उपयोग को मोबाइल बैंकिंग / समय के माध्यम से समय-समय पर मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराया जा सकता है। इस दस्तावेज़ में मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का परस्पर उपयोग किया जाता है।

b. "मोबाइल फोन" का अर्थ है आवश्यक उपकरण, उपकरण, संलग्नक और अन्य सॉफ्टवेयर के साथ हैंडसेट जो ग्राहक / सेलुलर सेवा ग्राहक के स्वामित्व में है।

c. "उपयोगकर्ता" बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली मोबाइल बैंकिंग सेवा का उपयोग करने के लिए अधिकृत बैंक के ग्राहक को संदर्भित करता है।

d. "व्यक्तिगत जानकारी" एक मोबाइल बैंकिंग सेवा के संदर्भ में प्राप्त उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी को संदर्भित करता है।

e. एक "सेलुलर सेवा प्रदाता" या "सीएसपी" का अर्थ है एक जीएसएम / सीडीएमए सेवा प्रदाता (मोबाइल फोन के संचालन के लिए) जिसने अपने ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक के साथ एक समझौता किया है।

2. नियम और शर्तों की उपयोगिता: ये नियम और शर्तें उपयोगकर्ता, बैंक और सेलुलर सेवा प्रदाता के बीच एक समझौता बनाती हैं और उपयोगकर्ता / या संबंधित उत्पाद के किसी भी खाते से संबंधित नियमों और शर्तों की अवमानना का गठन करती हैं और इसके अलावा बैंक या सीएसपी द्वारा प्रदान की गई सेवा प्रदान करती हैं।

3.पात्रता: बैंक का कोई भी ग्राहक बचत / चालू / ऋण खाता / सावधि जमा को अकेले या या तो या पढ़ने के आधार पर संचालित करने के लिए अधिकृत है और जो सीएसपी का वर्तमान ग्राहक भी है। उपयोगकर्ता को मोबाइल फोन तक पहुंच होनी चाहिए और मोबाइल फोन कैसे काम करता है, इसका ज्ञान होना चाहिए। उपयोगकर्ता के पास हमेशा मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए आवश्यक है। खुदरा खातों के मामले में, केवल नाबालिग बच्चे के प्राकृतिक माता-पिता ही सेवा का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।

4.पंजीकरण: मैं / हम सहमत हैं कि मेरा / हमारा आवेदन तभी सही पाया जाता है जब मैं / हम मोबाइल बैंकिंग सेवा का उपयोग करने के हकदार हों और संबंधित विवरण बैंक और सीएसपी द्वारा पंजीकृत हों।

5।मोबाइल बैंकिंग : बैंक मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से उपयोगकर्ता को प्रदान करने की कोशिश करेगा, ऐसी सेवाएं जो बैंक समय-समय पर तय कर सकता है। बैंक यह तय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है कि प्रत्येक खाते पर उपयोगकर्ता को किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं और उपयोगकर्ता से उपयोगकर्ता में भिन्न हो सकती हैं। बैंक अपने विवेक पर, मोबाइल बैंकिंग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को जोड़ / हटा सकता है।

6.मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से केवल बैंक में खोले गए और संबंधित उपयोगकर्ता की आईडी से जुड़े खाते ही उपलब्ध होंगे।

7. इस मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर के सभी संस्करणों का समर्थन करने के लिए बैंक पर कोई दायित्व नहीं होगा।

8.मोबाइल बैंकिंग एक्सेस: हम सहमत हैं कि मैं / हम बैंक की मोबाइल बैंकिंग सेवा तक पहुंचने के

लिए केवल अपने मोबाइल फोन का उपयोग करेंगे। बैंक फॉर मोबाइल बैंकिंग के साथ पंजीकृत एक विशेष मोबाइल फोन नंबर तक पहुंच मेरे लिए सीमित है। हम मोबाइल फोन से संबंधित अपना / अपना एमपीआईएन नंबर / मोबाइल फोन किसी भी व्यक्ति को नहीं बताएंगे या इसे किसी भी स्थान पर नहीं लिखेंगे / रिकॉर्ड नहीं करेंगे ताकि कोई अन्य व्यक्ति मेरा एमपिन नंबर जान सके। मैं / हम समझ गए थे कि यदि मैं / हम इसका अनुपालन / अनुपालन करने में विफल रहते हैं, तो वहां से उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए मैं / आप पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। हम किसी भी अनधिकृत माध्यम से बैंक के कंप्यूटर में संग्रहीत खाते की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए दूसरों को प्रयास करने या अनुमति देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम किसी अन्य व्यक्ति को मेरे / हमारे मोबाइल फोन तक पहुंचने या मोबाइल फोन को अनदेखा करने की अनुमति नहीं देंगे।

9.बैंक का प्राधिकरण: मैं / हम बैंक को मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से मेरे / हमारे द्वारा किए गए लेन-देन करने के लिए स्पष्ट शक्तियां देते हैं। मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से मुझसे प्राप्त किसी भी लेनदेन की सत्यता को सत्यापित करने या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से मेरे / हमारे द्वारा भेजे जाने वाले इरादे को निर्धारित करने के लिए बैंक पर कोई दायित्व नहीं होगा। मोबाइल फोन नंबर का सत्यापन। मोबाइल बैंकिंग के संचालन के दौरान मेरे / हमारे द्वारा बनाया गया डिस्प्ले मोबाइल एक्सेस के संचालन का एक रिकॉर्ड है और इसे प्रासंगिक लेनदेन के बैंक रिकॉर्ड के रूप में नहीं माना जाएगा। आवधिक विवरण की प्राप्ति जब तक कि मैं तारीख से एक सप्ताह के भीतर कोई विसंगति नहीं दिखाता हूं, कंप्यूटर सिस्टम द्वारा या अन्यथा बनाए जाने वाले बैंक के लेनदेन के अपने रिकॉर्ड द्वारा सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक और बाध्यकारी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। संयुक्त खाता चलाने के लिए मोबाइल बैंकिंग के उपयोग से उत्पन्न होने वाले सभी लेनदेन, संयुक्त रूप से और कई मायनों में सभी संयुक्त खाताधारकों पर बाध्यकारी होंगे।

10.जानकारी की सटीकता: मैं / हम / मेरे / हमारे द्वारा बैंक को इलेक्ट्रॉनिक मेल या लिखित संचार जैसे किसी अन्य माध्यम से या उसके माध्यम से प्रदान की गई जानकारी की शुद्धता के लिए जिम्मेदार हैं। बैंक या सीएसपी मेरे द्वारा प्रदान की गई गलत सूचना के परिणामों के लिए किसी भी दायित्व को स्वीकार नहीं करता है / हमने प्रदान किया है। यदि मुझे संदेह है कि मेरे द्वारा बैंक को प्रदान की गई जानकारी में कोई त्रुटि है, इसलिए मैं / हम बैंक को जल्द से जल्द सलाह दूंगा। बैंक 'सर्वोत्तम प्रयास' के आधार पर जहां भी संभव होगा त्रुटियों को सुधारने की कोशिश करेगा। यदि मुझे / हम किसी मोबाइल बैंकिंग सेवा या उपयोग के माध्यम से मेरे / हमारे द्वारा प्रदान की गई खाते की जानकारी में कोई त्रुटि पाते हैं, तो मैं / हम बैंक को जल्द से जल्द सलाह दूंगा। बैंक तुरंत त्रुटि को ठीक करने का प्रयास करेगा और त्रुटि से उत्पन्न होने वाले किसी भी ब्याज या शुल्क को समायोजित करेगा। बयानों के सभी आउटपुट खाते के डुप्लिकेट स्टेटमेंट हैं।

और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उत्पन्न किया जाएगा और उनमें निहित जानकारी बैंक द्वारा बनाए गए कम्प्यूटरीकृत बैक अप सिस्टम से निकाली जाएगी। बैंक विवरण की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा, लेकिन बैंक किसी भी गलती के लिए उत्तरदायी नहीं है। मैं / हम बैंक को किसी भी प्रकार के नुकसान, हानि आदि के खिलाफ हानिरहित बनाएंगे।

यदि उपर्युक्त आउटपुट में निहित जानकारी गलत / गलत निकलती है, तो इसे मुझे / हमें वहन करना पड़ सकता है।

11.उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी: मोबाइल बैंकिंग के उपयोग के माध्यम से होने वाले किसी भी अनधिकृत लेनदेन के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे, जिसे बैंक के कर्मचारियों या एजेंटों की धोखाधड़ी या लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यदि मैंने शर्तों का अनुपालन किया है और मुझे / हमें संदेह है कि मेरा / हमारा मोबाइल फोन नंबर किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित किया गया है / या मेरे खाते में अनधिकृत लेन-देन किया गया है / या मेरे खाते में अनधिकृत लेन-देन देखे जाने के तुरंत बाद, मैंने नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है और रसीद के तहत बैंक को लिखित सलाह दी है, तो मैं अपने खाते में होने वाले अनधिकृत लेनदेन से उत्पन्न नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। बैंक द्वारा ऐसी सलाह प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम दो दिन। मैं / हम इस बात से सहमत हैं कि मोबाइल बैंकिंग तक पहुंच मेरे / हमारे मोबाइल फोन और इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी लेनदेन के माध्यम से है, जिसे मेरे / हमारे द्वारा शुरू किया गया माना जाएगा, चाहे मैंने शुरू किया हो या नहीं। यदि मैंने शर्तों का उल्लंघन किया है या लापरवाही के कृत्यों से नुकसान पहुंचाया है, तो मैं / हम अपने / हमारे खातों में अनधिकृत लेनदेन के सभी नुकसान के लिए उत्तरदायी होंगे।

a. उचित समय में मोबाइल बैंकिंग खातों तक अनधिकृत पहुंच या गलत लेनदेन के बारे में बैंक को सलाह नहीं देना।
b. सिम कार्ड में परिवर्तन या समाप्ति के मामले में, सेलुलर सेवा प्रदाता और बैंक को परिवर्तन / समाप्ति के बारे में सूचित नहीं किया जाना चाहिए।
c. मैं समझता हूं कि अगर मेरा मोबाइल फोन गायब है या गलत हाथों में पड़ रहा है, तो इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। मैं / हम इस प्रकार के किसी भी दुरुपयोग के लिए बैंक को मुआवजा देने के लिए सहमत हैं।

12.बैंक की देयता: प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, आग और अन्य प्राकृतिक आपदाओं, कानूनी प्रतिबंधों, दूरसंचार नेटवर्क या नेटवर्क विफलता, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर त्रुटि या अपेक्षित तरीके से बैंक के नियंत्रण के अलावा किसी अन्य कारण तक पहुंच के अभाव में, बैंक, किसी भी परिस्थिति में, मेरे द्वारा उत्तरदायी ठहराया जाएगा। बैंक किसी भी परिस्थिति में किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, भले ही हानि प्रत्यक्ष,

अप्रत्यक्ष रूप से, आकस्मिक, परिणामी और राजस्व, निवेश, उत्पादन, सद्भावना, लाभ, व्यवसाय व्यवधान या उपयोगकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी चरित्र या प्रकृति के नुकसान के आधार पर किसी भी दावे पर आधारित हो। बैंक किसी भी तरह से मोबाइल फोन के संबंध में सीएसपी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। मोबाइल बैंकिंग लेनदेन के संबंध में सीएसपी द्वारा

लगाए गए शुल्कों के लिए बैंक किसी भी तरह से उत्तरदायी और / या उत्तरदायी नहीं है।

13.सीएसपी की जिम्मेदारी: सीएसपी और बैंक मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से या अन्यथा प्रेषित संदेशों की गोपनीयता या सुरक्षा की गारंटी नहीं देते हैं। सीएसपी सिस्टम और नेटवर्क द्वारा या उपयोगकर्ता द्वारा या मोबाइल बैंकिंग सेवाओं या सीएसपी नेटवर्क के संबंध में या सीएसपी नेटवर्क के संबंध में या सीएसपी नेटवर्क के संबंध में या सीएसपी नेटवर्क के संबंध में या सीएसपी नेटवर्क के संबंध में या सीएसपी नेटवर्क के परिणामस्वरूप या सीएसपी नेटवर्क के परिणामस्वरूप या नुकसान या क्षति के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी या प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इस करार के अन्य उपबंधों को सीमित किए बिना, सीएसपी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से या इसके परिणामस्वरूप, राजस्व, लाभ, व्यवसाय, अनुबंध, अपेक्षित बचत या सद्भावना, सॉफ्टवेयर सहित किसी भी उपकरण के उपयोग या मूल्य के उपयोग या हानि सहित किसी भी हानि या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वह अपेक्षित हो या नहीं, उपयोगकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई देरी, व्यवधान, निलंबन, बैंक की त्रुटि का समाधान और अनुरोध प्राप्त करना और संसाधित करना और तैयार प्रतिक्रिया या उपयोगकर्ता के दूरसंचार उपकरण के दूरसंचार उपकरणों पर और सीएसपी नेटवर्क और बैंक के सिस्टम पर या उपयोगकर्ता के दूरसंचार उपकरणों पर या उपयोगकर्ता के दूरसंचार उपकरणों पर या बैंक या सीएसपी नेटवर्क, सीएसपी बैंक और उपयोगकर्ता की प्रणाली के विपरीत कोई ब्रेकडाउन, रुकावट, निलंबन या विफलता। उपयोगकर्ता किसी भी विवाद के लिए किसी भी तरह से या किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

14.मुआवज़ा: मैं / हम बैंक, उसके ग्राहक या तीसरे पक्ष को किसी भी नुकसान या तीसरे पक्ष द्वारा किए गए किसी भी दावे या कार्रवाई के खिलाफ बैंक और सीएसपी को हानिरहित बनाएंगे जो किसी भी तरह से मेरे / हमारे द्वारा मोबाइल बैंकिंग का परिणाम है। मैं / हम सहमत हैं कि मोबाइल बैंकिंग सेवा सीएसपी द्वारा प्रदान किए गए नेटवर्क का उपयोग करती है। मैं / हम बैंक को इस नेटवर्क की विफलता से मुझे / हमें हुए किसी भी नुकसान के खिलाफ हानिरहित मानते हैं।

15.व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटीकरण: हम सहमत हैं कि बैंक या उसके ठेकेदार मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ सांख्यिकीय विश्लेषण और क्रेडिट स्कोरिंग के संदर्भ में कंप्यूटर पर या अन्यथा मेरी व्यक्तिगत जानकारी रख सकते हैं और संसाधित कर सकते हैं।

16.मोबाइल बैंकिंग सेवाओं की समाप्ति: मैं / हम बैंक से कम से कम 15 दिनों की लिखित सूचना देकर किसी भी समय मोबाइल बैंकिंग सुविधा बंद करने का अनुरोध कर सकते हैं। मैं / हम सहमत हैं कि मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से मेरे / हमारे मोबाइल बैंकिंग खाते पर किए गए किसी भी लेनदेन के लिए मैं जिम्मेदार होगा जब तक कि मेरी / हमारी मोबाइल बैंकिंग सेवा रद्द नहीं हो जाती। बैंक किसी भी समय मोबाइल बैंकिंग सुविधा वापस ले सकता है और इस स्थिति में उचित निर्देश देने का प्रयास करेगा। सभी खातों के बंद होने से मोबाइल बैंकिंग सेवाएं स्वत: समाप्त हो जाएंगी। इसी तरह, यदि मैंने इन नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है, तो बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के मोबाइल बैंकिंग सुविधा / सेवा को निलंबित या समाप्त कर सकता है।

17. सूचना: मैं / हम जानते हैं कि बैंक इन नियमों और शर्तों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेरे / हमारे मेलबॉक्स (जिस पर लिखित रूप में विचार किया जाएगा) पर या हाथ से वितरण द्वारा या इस प्रकार डाक द्वारा बैंक के मामले में मेरे और उनके पंजीकृत कार्यालय द्वारा दिए गए अंतिम पते पर लिखित रूप में नोटिस जारी कर सकता है। इसके अलावा, बैंक सामान्य प्रकृति के नोटिस भी प्रकाशित कर सकता है। बैंक की वेबसाइट पर लागू सभी मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं के लिए, ऐसे नोटिस का वही प्रभाव होगा जो मुझे / हमें व्यक्तिगत रूप से जारी किए गए नोटिस का प्रभाव होगा।

2. उपलब्धता:

a. ग्राहक ने इस सुविधा के लिए अनुरोध किया है जिसे बैंक अपने विवेक पर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बंद कर सकता है।

b. ये अलर्ट ग्राहक को तभी भेजे जाएंगे जब ग्राहक सीएसपी के सेलुलर सर्कल में हो या सर्कल में हो जो ऐसे सीएसपी में रोमिंग जीएसएम नेटवर्क समझौते का हिस्सा है।

c. जहां भी संभव हो, बैंक अन्य सेलुलर सर्किलों के ग्राहकों के साथ-साथ अन्य सेलुलर सेवा प्रदाताओं को सुविधा प्रदान कर सकता है, जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

d. यदि किसी कारण से खाता संचालन निलंबित कर दिया गया है तो ग्राहक या बैंक द्वारा मोबाइल फोन ट्रिगर उत्पन्न नहीं किया जा सकता है।

e. ग्राहक अपने मोबाइल फोन के उपयोग के माध्यम से अपने खाते तक पहुंच प्राप्त करने के लिए शुरू में उपयोग किए जाने वाले मोबाइल फोन / मोबाइल फोन नंबर और मोबाइल फोन पहचान संख्या की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता है।

3. पैसे की निकासी या समाप्ति:

a. बैंक अपने विवेकानुसार, इस सुविधा को पूरी तरह या आंशिक रूप से अस्थायी रूप से वापस ले सकता है या बंद कर सकता है। बैंक, बिना किसी पूर्व सूचना के, किसी भी समय अस्थायी सुविधा को निलंबित कर सकता है, जिसके दौरान कोई रखरखाव कार्य या मरम्मत करने की आवश्यकता होती है या किसी भी आपातकालीन या सुरक्षा कारणों से, जिसके लिए सुविधा को निलंबित करने की अस्थायी आवश्यकता होती है।

b. यहां उल्लिखित शर्तों के बावजूद, ग्राहक या बैंक, किसी भी कारण से, पूर्व लिखित सूचना के बाद किसी भी समय अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं। हालांकि, ग्राहक द्वारा की गई देनदारियां इस अनुबंध की समाप्ति से बनी रहेंगी।

4. फीस:

a. एक परिचय प्रस्ताव के रूप में, बैंक वर्तमान में ग्राहकों को मुफ्त सेवा के रूप में सुविधा प्रदान कर रहा है। बाद की तारीख में बैंक एक शुल्क लगाने का निर्णय ले सकता है जिसे ग्राहक बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ग्राहक ऐसे एयरटाइम या अन्य प्रभारों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा जो सीएसपी द्वारा अलर्ट प्राप्त करने के संबंध में लगाए जा सकते हैं, जो सीएसपी द्वारा सीएसपी के नियमों और शर्तों के अनुसार चार्ज किया जा सकता है और बैंक इससे किसी भी तरह से संबंधित नहीं है।

b. जब तक बैंक अन्यथा छूट नहीं देता है, ग्राहक बैंक, सेवा के उपयोग के लिए अपने मानक शुल्क और शुल्क। इस संबंध में, बैंक को ग्राहक द्वारा ग्राहक द्वारा बैंक में ग्राहक के किसी भी खाते को डेबिट करने का अधिकार है।

5. अस्वीकरण:

a. बैंक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी नहीं होगा:

(i) ग्राहक की पहचान संख्या का कोई अनधिकृत उपयोग या; (ii) मोबाइल फोन नंबर / लिखत या उसके अधिसूचित ईमेल पते पर प्राप्त ई-मेल तक अनधिकृत पहुंच, जो किसी भी कपटपूर्ण, डुप्लिकेट या गलत व्याख्या / ट्रिगर के लिए दिए गए किसी भी धोखाधड़ी, डुप्लिकेट या गलत व्याख्या / ट्रिगर के लिए दी गई है; (iii) बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी सुझाव / ट्रिगर पर सद्भावना से कार्य करना; (iv) बैंक के सभी या किसी भी अनुदेश / ट्रिगर पर कार्रवाई करने में त्रुटि, चूक, विलंब या असमर्थता; (v) प्रसारण में किसी सूचना / सूचना / चेतावनियों की हानि; (vi) ग्राहक द्वारा दी गई किसी भी सूचना / नोटिस / ट्रिगर में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनधिकृत पहुंच या गोपनीयता का उल्लंघन।

b. बैंक ग्राहक और सीएसपी के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद से संबंधित नहीं होगा और गुणवत्ता, सीएसपी द्वारा प्रदान की गई सेवा की गारंटी या सीएसपी द्वारा प्रदान की गई सेवा की समय पर डिलीवरी या प्रत्येक अलर्ट की सामग्री की सटीकता के संदर्भ में कोई प्रतिनिधित्व या कोई गारंटी नहीं देगा।

c. मोबाइल फोन कंपनी / मोबाइल फोन सेवा प्रदाता बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा, यदि किसी भी कारण से, ग्राहक के प्रीपेड एयरटाइम को फिर से लोड करने में विफल रहता है। ग्राहक इस बात से सहमत है कि पुन: लोड की गई सेवा के बारे में किसी भी शिकायत को मोबाइल फोन कंपनी / सेवा प्रदाता द्वारा संदर्भित और हल किया जाएगा।

6. प्रकटीकरण (डिस्क्लोसर): ग्राहक इस बात से सहमत है कि सभी जानकारी / सूचनाएं / ट्रिगर विभिन्न स्थानों पर प्रेषित और / या संग्रहीत की जाएंगी और बैंक के कर्मचारियों (और उसके सहयोगियों / एजेंटों) द्वारा एक्सेस की जाएंगी। बैंक ग्राहक या उसके खाते से संबंधित कोई भी जानकारी या विवरण सीएसपी या किसी भी सेवा प्रदाताओं को प्रदान करने के लिए अधिकृत है, जब तक कि किसी भी नोटिस / ट्रिगर को प्रभावी बनाना आवश्यक हो।

7. दायित्व और मुआवजा: ग्राहक लापरवाही, धोखाधड़ी, मिलीभगत या उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली सभी देनदारियों, नुकसान, दावों और नुकसान से बैंक को मुआवजा देगा। ग्राहक और / या तीसरे पक्ष की ओर से ये शर्तें हैं यदि बैंक की ओर से कोई गंभीर लापरवाही नहीं है। इसके अलावा, युद्ध, विद्रोह, चक्रवात, भूकंप, बिजली, कंप्यूटर या बैंक यांत्रिक विफलताओं सहित इस समझौते के संदर्भ में उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत, दावों, नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

8. संशोधनमंड (अमेंडमेंड): इसके द्वारा, ग्राहक, नोटिस की आवश्यकता के बिना, बैंक द्वारा किए गए इन शर्तों में किसी भी और सभी भविष्य के परिवर्तनों, नवाचारों, सुधारों या परिवर्तनों का पालन करने के लिए सहमत होता है।

9. विविध: उपरोक्त नियम और शर्तें ग्राहक द्वारा सहमत खातों पर लागू नियमों और शर्तों के अतिरिक्त हैं। सभी विवाद केवल मुंबई में सक्षम अदालतों के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं। डीसीबी किसी भी नियम और शर्तों को किसी भी तरह से माफ या संशोधित नहीं करेगा जो बैंक के साथ मौजूदा नियमों और शर्तों के समझौते में व्यक्त या शामिल किया गया है।

F. नेट बैंकिंग

1. स्पष्टीकरण और व्याख्या (डेफिनेशन आणि इंटरप्रेटेशन):

a. "नेट बैंकिंग नियम और शर्तें" का अर्थ है उन नियमों और शर्तों से जो नेट बैंकिंग पर लागू किए जा सकते हैं जिन्हें समय-समय पर बैंक द्वारा संशोधित और पेश किया गया है।

b. "गोपनीय जानकारी" एक ग्राहक द्वारा सेवाओं या भुगतान निर्देश सेवाओं या इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक के माध्यम से प्राप्त जानकारी को संदर्भित करती है।

c. "भुगतान निर्देश" का अर्थ है कि ग्राहक द्वारा रखे गए खाते से बैंक और / या बैंक के बाहर अन्य अनुमोदित ग्राहकों द्वारा रखे गए खातों में धन के हस्तांतरण के लिए ग्राहक द्वारा दिया गया नोटिस और / या मांग जारी करने का अनुरोध लाभार्थी के नाम पर ड्राफ्ट (डीडी) है, जिसका बैंक में खाता हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

d. "इंटरनेट" का अर्थ कंप्यूटर / मोबाइल फोन / अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक नेटवर्क है जो जानकारी साझा और आदान-प्रदान करता है। इंटरनेट एक ही समय में एक वैश्विक संचरण क्षमता, सूचना प्रसार का एक तंत्र, और भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना व्यक्तियों और उनके कंप्यूटर / मोबाइल फोन / अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच सहयोग और बातचीत के लिए एक माध्यम है।

e. "नेट बैंकिंग सेवा" एक बैंक की सेवा को संदर्भित करता है जो ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से बैंक की सलाह पर समय-समय पर खाते की जानकारी, उत्पादों और अन्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। नेट बैंकिंग और नेट बैंकिंग सेवाओं / सुविधाओं का परस्पर उपयोग किया जा सकता है।

f. "खाता" का अर्थ ग्राहक की बचत और / या चालू खाता और / या सावधि जमा या किसी अन्य प्रकार का खाता है जिसे बैंक ने नेट बैंकिंग के उपयोग के माध्यम से संचालन के लिए पात्र खाते (खाता) के रूप में नामित किया है।

g. "व्यक्तिगत जानकारी" नेट बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में प्राप्त ग्राहक के बारे में जानकारी को संदर्भित करता है।

2. **नेट बैंकिंग के लिए आवेदन :** बैंक अपने विवेक के अनुसार चुनिंदा ग्राहकों को नेट बैंकिंग की पेशकश कर सकता है। हम सहमत हैं कि नेट बैंकिंग के लिए पात्र होने के लिए मुझे / हमें एक वर्तमान इंटरनेट उपयोगकर्ता होने की आवश्यकता है या आपको इंटरनेट तक पहुंच होनी चाहिए और इंटरनेट कैसे काम करता है, इसका ज्ञान होना चाहिए। हम सहमत हैं कि नेट बैंकिंग के लिए आवेदन स्वचालित रूप से बैंक द्वारा स्वीकृति दिखाता है।

3. **सॉफ्टवेयर: समय-समय पर,** बैंक नेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए आवश्यक ब्राउज़र जैसे इंटरनेट सॉफ्टवेयर की सलाह देगा। बैंक के पास इस इंटरनेट सॉफ्टवेयर के सभी संस्करणों का समर्थन करने का कोई दायित्व नहीं होगा। मैं / हम सहमत हैं कि मैं / हम समय-समय पर अपने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए जिम्मेदार होंगे **ताकि** मैं / हम समय-समय पर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए जिम्मेदार हो सकें। बैंक के साथ संगत होगा। बैंक को समय-समय पर अपने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि में परिवर्तन, परिवर्तन या उन्नयन करने की स्वतंत्रता होगी **और इस** प्रकार उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम का समर्थन करने के लिए कोई दायित्व नहीं होगा और यह मेरी / आपकी एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

4. **नेट बैंकिंग सेवाएं:** बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से ऐसी सेवाएं देने की कोशिश करेगा जो बैंक **समय-समय पर तय कर सकता है। बैंक यह तय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है कि प्रत्येक खाते पर किस प्रकार की सेवाओं की पेशकश की जा** सकती है और ग्राहकों के बीच भिन्न हो सकती है। ये सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से और बैंक के विवेक पर प्रदान की जाएंगी। बैंक अपने विवेकाधिकार से, नेट बैंकिंग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को जोड़ / हटा सकता है। किसी विशेष सेवा की उपलब्धता / अनुपलब्धता को बैंक के ई-मेल या वेब पेज या लिखित संचार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। एक ही ग्राहक पहचान संख्या से जुड़े बैंक में खोले गए सभी खाते नेट बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध होंगे। संयुक्त खातों और दो या दो से अधिक हस्ताक्षर वाले खातों के मामले में, बैंक ऐसी सेवाएं प्रदान करेगा, जो ऐसे खातों के कामकाज को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों द्वारा निषिद्ध हैं। खुदरा खातों के मामले में, प्राकृतिक अभिभावक खाते के कामकाज से संबंधित सभी निर्देशों को जारी करने का कार्य करता है और नाबालिग के ग्राहक आईडी और पासवर्ड का खुलासा नहीं करने का वादा करता है। बैंक बैंक **के लिए उपलब्ध तकनीक का उपयोग करके नेट बैंकिंग सेवाओं तक अनधिकृत** पहुंच **सुनिश्चित करने और रोकने** के लिए उचित देखभाल करेगा। ग्राहक इस बात से सहमत है कि ग्राहक किसी भी संबंधित सेवा का उपयोग करके नेट बैंकिंग या **किसी भी संबंधित सेवा तक अनधिकृत पहुंच सुनिश्चित करने और रोकने के लिए उचित देखभाल करेगा। अवैध या अनुचित** कारणों **से** ऐसा नहीं कर सकता है या अनुमति नहीं दे सकता है। ग्राहक ने आगे वादा किया है कि वह **बैंक को आवश्यकतानुसार** पाक्षिक विवरण **भेजने से छूट दे रहा है।** ग्राहक लेनदेन और जानकारी रखने के लिए नेट पर पूछताछ करेगा। ग्राहक इस बात से भी सहमत है कि **वह इंटरनेट पर उत्पन्न हुआ है।** किए गए प्रश्न के परिणाम ऐसे बयानों को प्रतिस्थापित करेंगे और बैंक के उत्पादों और सेवाओं का विकास एक सतत प्रक्रिया है और इंटरनेट पर प्रकाशित जानकारी अद्यतित नहीं हो सकती है। सूचना की प्रकृति, अद्यतन आवृत्ति और प्रतिधारण अवधि बैंक के एकमात्र विवेक द्वारा निर्धारित की जाएगी। ग्राहक समझता **है कि बैंक की संबंधित शाखा के साथ वर्तमान स्थिति की** जांच करना महत्वपूर्ण है। सभी जानकारी ऐसी वारंटी के बिना 'जैसा है' आधार पर प्रदान की जाती है। बैंक उपयोगकर्ता और / या किसी तीसरे पक्ष को सटीकता, समयबद्धता, पूर्णता, व्यापार योग्यता या फिटनेस की वारंटी के साथ कोई प्रतिनिधित्व और अस्वीकरण नहीं देता है और / या किसी तीसरे पक्ष को किसी भी प्रकार की सभी अभिव्यक्ति, अंतर्निहित और वैधानिक गारंटी देता है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए सूचना। प्राप्त जानकारी में सभी स्वामित्व अधिकार बैंक की संपत्ति बने रहेंगे। किसी भी जानकारी का पुनरुत्पादन, पुनर्वितरण और प्रसारण सख्ती से निषिद्ध है। इस वेबसाइट तक पहुंच ग्राहक द्वारा दी गई पुष्टि है जो ग्राहक द्वारा समझी जाती है और इन शर्तों **को** स्वीकार किया जाता है।

5. **नेट बैंकिंग एक्सेस:** मैं / हम समझते हैं कि बैंक मुझे / हमें ग्राहक पहचान पत्र और नेट बैंकिंग पासवर्ड पहले स्थान पर देगा। मुझे / हमें पहली बार नेट बैंकिंग दर्ज करने के बाद बैंक द्वारा सौंपे गए पासवर्ड को बदलना होगा।

   सुरक्षा उपाय के रूप में मैं / हम उसके बाद जितनी बार संभव हो पासवर्ड बदलेंगे। मैं / हम सहमत **हैं कि मेरे / हमारे** द्वारा अधिसूचित संपर्क जानकारी या पते पर मेरे साथ पत्राचार के लिए मुझे / हमें **पासवर्ड जारी किया जाएगा।** हमें हमारे जोखिम **और** परिणामों पर **कूरियर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजा जाएगा** और बैंक यह होगा कि यदि पासवर्ड किसी अनधिकृत व्यक्ति / व्यक्ति के हाथों में आता है, तो इसे किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है या जिम्मेदार ठहराया जाता है। ग्राहक आईडी कार्ड और पासवर्ड के अलावा, बैंक, आपके विवेक पर, मुझे डिजिटल प्रमाण पत्र और / या प्रमाणीकरण के अन्य साधनों को अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें स्मार्ट कार्ड भी शामिल है। **हम सहमत** हैं कि मैं / हम नेट बैंकिंग सेवा के अलावा किसी अन्य माध्यम से बैंक के कंप्यूटर में संग्रहीत खाते के बारे में जानकारी प्राप्त करने या दूसरों को अनुमति देने का प्रयास नहीं करेंगे। मैं / हम जानते हैं कि **नेट बैंकिंग के माध्यम से** लेन-देन केवल मेरे पासवर्ड का उपयोग करके किया जा सकता है। मैं नेट के **माध्यम से** किए गए लेनदेन के लिए सबूत के किसी भी सबूत का **अनुरोध** / मांग **नहीं करेंगे** और लॉगिन का ऑडिट ट्रेल यह स्थापित करने के लिए निर्णायक सबूत होगा कि लेनदेन वास्तविक **हैं**।

6. **पासवर्ड:**

मैं / हम समझते हैं और सहमत हैं कि मैं / हम करेंगे:

   a. पासवर्ड को पूरी तरह से गोपनीय रखें और किसी भी तीसरे पक्ष को पासवर्ड का खुलासा न करें।
   b. एक पासवर्ड का चयन करें जो कम से कम छह वर्ण लंबा हो और इसमें वर्णमाला, संख्या, पूंजी और छोटे अक्षरों और विशेष वर्णों का मिश्रण होगा **जिसमें** मेरा नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस आदि **शामिल हैं। इस** तरह किसी भी आसानी से उपलब्ध व्यक्तिगत डेटा से संबंधित **नहीं होना चाहिए । या** अक्षरों और संख्याओं **का** आसानी से अनुमानित संयोजन।
   c. पासवर्ड को मेमोरी पर रखें **और** उन्हें लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड **न** करें और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति **को मेरे कंप्यूटर** तक पहुंचने **की अनुमति न दें** या नेट बैंकिंग में प्रवेश करते समय कंप्यूटर को अनदेखा न करें। यदि मैं नेट बैंकिंग पासवर्ड **भूल जाता हूं,** तो मैं / हम पासवर्ड बदलने का अनुरोध कर सकते हैं।

इस तरह के हस्तांतरण की व्याख्या नहीं की जाएगी और / या एक नए अनुबंध की शुरुआत के रूप में माना जाएगा।

7. **शुल्क:** हम बैंक को समय-समय पर मेरे खाते को डेबिट करके बैंक द्वारा निर्धारित नेट बैंकिंग से संबंधित सभी शुल्क एकत्र करने का अधिकार देते हैं।

8. **मेलिंग पता:** बैंक द्वारा सभी पत्राचार / संवितरण केवल बैंक के साथ पंजीकृत पते पर और / या ई-मेल पते और / या मोबाइल नंबर पर किया जाएगा।

9. **लेन-देन (ट्रान्सॅक्शन) की प्रक्रिया:**

   a. तत्काल लेन-देन के लिए सभी अनुरोधों को तुरंत लागू किया जाएगा। गैर-तत्काल लेनदेन के लिए सभी अनुरोध जैसे डीडी अनुरोध आदि पहले दिन के अंत में पहले आधार पर किए जाएंगे, जो डेबिट के लिए आधिकारिक खाते में स्पष्ट धन की उपलब्धता के अधीन होगा। यदि किसी लेन-देन पर प्रभावी अनुरोध साप्ताहिक अवकाश / अवकाश / सार्वजनिक अवकाश के दिन प्राप्त होते हैं, तो वह कार्य दिवस पर लागू किया जाएगा जो तुरंत सफल होगा। यदि बैंक को इस संबंध में अनुदेश प्राप्त नहीं हुए हैं, भले ही मैं / हम उसे अग्रेषित कर देता, तो भी बैंक को किसी भी लेनदेन को संसाधित / कार्यान्वित नहीं करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

   b. हम नेट बैंकिंग पर लागू नियमों और शर्तों के अलावा निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

   (i) मैं / हम ऐसे उद्देश्यों के लिए धन के हस्तांतरण के उद्देश्य से नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान अनुदेश सेवाओं का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो मुझे उचित लगता है। इसके अलावा मैं / हम समझते हैं और सहमत हैं कि बैंक द्वारा भुगतान अनुदेश सेवाओं की यह सुविधा केवल अपने एकमात्र और अनन्य विवेक पर है। यह कुछ अनुमति प्राप्त ग्राहकों तक सीमित हो सकता है या सामान्य रूप से सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध होने के लिए समय-समय पर इसे बढ़ा सकता है।

   (ii) हालांकि, हम किसी भी अवैध या अनुचित उद्देश्यों के लिए भुगतान निर्देश सेवाओं या किसी भी संबंधित सेवाओं के उपयोग का उपयोग या अनुमति नहीं देने के लिए सहमत हैं। खरीदे गए किसी भी सामान के लिए या ऑनलाइन या अन्यथा प्राप्त किसी भी सेवा के लिए कोई भुगतान करने के लिए भुगतान अनुदेश सेवाओं का उपयोग करते समय, मैं / हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मुझे प्राप्त सेवाओं और खरीदे गए सामानों के लाभ तक पहुंचने और लाभ उठाने का पूरा अधिकार है और प्रत्येक न्यायालय में लागू कानूनों और विनियमों का पालन करना है जो मैं / हम लागू हैं। चलो यह करते हैं।

   (iii) हम इस तरह के लेनदेन में बैंक को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं करेंगे।

   (iv) मैं / हम बैंक को ऐसी सूचना और / या इस करार के अधीन बैंक की सेवाओं और / या किसी अन्य दायित्वों के निष्पादन के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करेंगे।

   (v) हम किसी भी व्यक्ति को पासवर्ड, खाता संख्या, कार्ड, नंबर और पिन सहित बैंक के साथ मेरे खातों सहित कोई भी जानकारी प्रदान नहीं करेंगे, जिसे मैं / हम समय-समय पर बैंक द्वारा सौंपा जा सकता है।

10. **जोखिम(रिस्क):** मैं / हम इसके द्वारा स्वीकार करते हैं कि मैं / हम अपने जोखिम पर भुगतान अधिसूचना सेवा का लाभ उठा रहे हैं। इन जोखिमों में शामिल होंगे लेकिन बताए गए जोखिमों तक सीमित नहीं होंगे।

    a. पासवर्ड का दुरुपयोग :

    i) हम स्वीकार करते हैं कि यदि कोई तीसरा व्यक्ति मेरे / हमारे पासवर्ड तक पहुंच प्राप्त करता है , तो ऐसा तीसरा व्यक्ति बैंक को भुगतान नोटिस प्रदान करने में सक्षम होगा।

    ii) हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पासवर्ड के उपयोग पर लागू नियमों और शर्तों का अनुपालन किया जाता है जैसा कि नेट बैंकिंग नियमों और शर्तों में निर्दिष्ट है।

    b. **इंटरनेट धोखाधड़ी:** इंटरनेट कई धोखाधड़ी, दुरुपयोग, हैकिंग और अन्य गतिविधियों का खतरा पैदा करता है जो बैंक के भुगतान निर्देशों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि बैंक का उद्देश्य इससे बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन ऐसे इंटरनेट धोखाधड़ी, हैकिंग और अन्य कार्यों से कोई गारंटी नहीं हो सकती है जो बैंक को भुगतान नोटिस को प्रभावित कर सकते हैं। मैं / हम स्वतंत्र रूप से विकसित करेंगे / उसी से उत्पन्न होने वाले सभी जोखिमों का आकलन करेंगे।

    c. गलतियाँ और त्रुटी: निधि अंतरण और / या डीडी जारी करने के लिए लागू आंकड़ों को भरने के लिए उचित, सटीक और पूर्ण विवरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, मैं / हम जानते हैं कि मैं / हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति को धनराशि हस्तांतरित की जानी है, उसकी खाता संख्या भरना आवश्यक है। इसी प्रकार, डीडी के लिए अनुरोध के मामले में, मुझे / हमें उचित विवरण भरना होगा जैसे देय व्यक्ति का नाम (जिसका बैंक में खाता हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है), मेलिंग पता, डीडी की राशि और वह शहर / राज्य जहां डीडी देय है। यह है। यदि इस संबंध में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो निधियों को गलत खातों में स्थानांतरित किया जा सकता है या डीडी को गलत तरीके से जारी किया जा सकता है या गलत पते पर भेजा जा सकता है और उसके बाद वसूली की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं / हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलती और त्रुटियां नहीं बची हैं।

    हम बैंक को दी गई जानकारी का पूरा ध्यान रखेंगे यह संबंध त्रुटि रहित, सटीक, उपयुक्त और हर समय पूर्ण है। मैं / हम सहमत हैं कि बैंक मेरे एकमात्र जोखिम पर सेवा प्रदान कर रहा है।

    मैं / हम इस बात से सहमत हैं कि किसी गलत या अधूरी जानकारी या निष्पादन में देरी के कारण होने वाली किसी भी हानि, हानि या परिणामों के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक के नियंत्रण से परे कारणों के लिए नोटिस। दूसरी ओर, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई गलती के कारण मेरे खाते

में गलत क्रेडिट प्राप्त होने की स्थिति में, बैंक मेरी सहमति के बिना किसी भी समय गलत क्रेडिट को उलटने का हकदार होगा।

मैं / हम बैंक के प्रति जवाबदेह और जवाबदेह होंगे और इसके परिणामस्वरूप मैं / हम अपने द्वारा प्राप्त किसी भी अनुचित या अनुचित लाभ के लिए बिना किसी प्रश्न के बैंक के सुझावों को स्वीकार करेंगे।

d. **व्यवहार(ट्रान्सॅक्शन):** हम डीडी के फंड को स्थानांतरित करने या जारी करने में सफल नहीं हो सकते हैं, जैसा कि हमारे द्वारा आवश्यक है, या उन पार्टियों से अनुरोध कर सकता हूं जिन्हें मैं / हम बैंक को धन के हस्तांतरण को पूरा नहीं कर सकते हैं या डीडी जारी नहीं कर सकते हैं। बैंक किसी भी तरह से इन लेनदेन और समझौतों में शामिल नहीं है और इस संबंध में मेरा / हमारा एकमात्र तरीका उस पक्ष के साथ होगा जिसके साथ मेरा / हमारा लेन-देन है। बैंक केवल मुझे / हमें सेवाएं प्रदान कर रहा है जिससे यह निधि मेरे / हमारे निर्देशों के अनुसार हस्तांतरित की जाएगी। ऐसे मामलों में जहां निधियों के अंतरण के लिए लेन-देन मेरे / हमारे निर्देशों के अनुसार किसी भी कारण से फलदायी या पूरा नहीं हो सकता है, ऐसे मामलों में, मैं / हम बैंक को जवाबदेह नहीं ठहराऊंगा या किसी भी तरह से इस लेनदेन में शामिल नहीं होंगे और इस संबंध में समझौता और मेरा / हमारा एकमात्र तरीका उस पक्ष के साथ होगा जिसे मेरा / हमारा सुझाव निधियों के हस्तांतरण के लिए अनुकूल था। बैंक केवल मुझे सेवाएं प्रदान कर रहा है जिससे यह निधि मेरे / हमारे अनुदेशों के अनुसार अंतरित की जाएगी।

e. **तंत्रज्ञान (टेकनॉलॉजि) जोखिम:** किसी बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली धन और अन्य सेवाओं के हस्तांतरण को सक्षम करने की तकनीक वायरस या अन्य दुर्भावनापूर्ण, विनाशकारी या भ्रष्ट कोड, प्रोग्राम या मैक्रोज़ से प्रभावित हो सकती है। यह भी संभव है कि बैंक साइटों को रखरखाव की आवश्यकता हो सकती है और ऐसे समय के दौरान ग्राहक अनुरोधों को संसाधित करना संभव नहीं हो सकता है। इससे निर्देशों के प्रसंस्करण में देरी हो सकती है या निर्देशों के प्रसंस्करण में विफलता हो सकती है और ऐसी अन्य विफलताओं और अक्षमताओं का कारण बन सकती है। मैं / हम समझते हैं कि बैंक की सभी और कोई भी देयता हो सकती है, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे वह लाभ की हानि के कारण हो या अन्यथा किसी विफलता के कारण उत्पन्न हो या ग्राहक की किसी भी सूचना का सम्मान करने में बैंक की अक्षमता हो। किसी भी कारण से। मैं / हम समझते हैं और मैं / हम सहमत हैं कि बैंक उपरोक्त जोखिमों में से किसी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मैं / हम इस बात से भी सहमत हैं कि बैंक इस जोखिम के संबंध में सभी देनदारियों को अस्वीकार कर देगा।

11. **सीमा:** मैं / हम जानते हैं कि बैंक समय-समय पर हस्तांतरित की जाने वाली निधियों या डीडी की राशि के हस्तांतरण पर अधिकतम और न्यूनतम सीमा लगा सकता है जो मुझे / हमें देय हस्तांतरण सेवा के आधार पर जारी की जाती है या लेन-देन प्रतिबंधों या आंतरिक राशि पर जारी की जाती है। एक निश्चित अवधि या यहां तक कि हर लेनदेन सीमा के लिए जा सकता है। मैं अपने द्वारा थोपी गई ऐसी सीमाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा और उनका सख्ती से पालन करूंगा। मैं / हम जानते हैं और स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि मुझ पर जोखिमों में कमी भी समान है। मैं / हम लगाई गई ऐसी सीमाओं के लिए बाध्य होंगे और उनका सख्ती से पालन करेंगे।

12. **मुआवज़ा:** हम किसी भी नेट बैंकिंग नियम और शर्तों और ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप बैंक को सभी नुकसान और नुकसान से मुआवजा देंगे।

13. **सुविधाओं की वापसी:** बैंक के पास किसी भी समय इस सेवा को वापस लेने का अधिकार होगा।

14. **शुल्क:** मैं / हम इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित प्रभारों को वहन करने के लिए सहमत हैं।

15. **उपरोक्त नियमों और शर्तों** का **बंधनकारक स्वरूप:** मैं / हम सहमत हैं कि इस सुविधा का उपयोग करके, मैं / आप उपरोक्त सभी नियमों और शर्तों से सहमत समझे जाएंगे और ऐसे नियम और शर्तें आपके लिए उसी तरह से बाध्यकारी होंगी जैसे मैं / हम लिखित रूप में सहमत हुए हैं।

16. **बैंक का प्राधिकरण:** ग्राहक आईडी कार्ड और पासवर्ड के प्रमाणीकरण के बाद ही ग्राहक के खाते में नेट बैंकिंग पहुंच की अनुमति है। मैं / हम सहमत हैं कि मैं / हम बैंक को नेट बैंकिंग के माध्यम से किए गए बैंकिंग लेनदेन करने के लिए स्पष्ट शक्तियां देते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से मेरे द्वारा भेजे गए उद्देश्य के लिए या नेट बैंकिंग के माध्यम से मेरे / हमारे ग्राहक पहचान पत्र और पासवर्ड के सत्यापन के अलावा मेरे द्वारा भेजे गए किसी भी लेनदेन की सत्यता को सत्यापित करने के लिए बैंक पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। नेट बैंकिंग के कामकाज के समय मेरे / हमारे द्वारा उत्पन्न प्रदर्शन या मुद्रित आउटपुट इंटरनेट एक्सेस के संचालन का एक रिकॉर्ड है और इसे बैंक सापेक्ष लेनदेन के रिकॉर्ड के रूप में नहीं माना जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किए गए लेनदेन के बैंक के अपने रिकॉर्ड या अन्यथा को सभी कारणों से निर्णायक और बाध्यकारी के रूप में स्वीकार किया जाएगा जब तक कि यह प्रवेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर या भेजने की तारीख से 15 दिनों के भीतर हो। आवधिक विवरण में कोई विसंगति नहीं दिखाई गई है, जो भी पहले हो। संयुक्त खाता चलाने के लिए नेट बैंकिंग के उपयोग से उत्पन्न सभी लेनदेन, सभी संयुक्त खाता धारकों पर संयुक्त रूप से होंगे।

जानकारी की सटीकता: मैं / हम इस बात से सहमत हैं कि मैं / हम नेट बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक मेल या लिखित संचार जैसे किसी अन्य माध्यम से बैंक को प्रदान की गई जानकारी की शुद्धता के लिए जिम्मेदार / उत्तरदायी हैं। बैंक मेरे / हमारे द्वारा प्रदान की गई गलत सूचना के परिणामों के लिए किसी भी दायित्व को स्वीकार नहीं करता है। मैं / हम इस बात से सहमत हैं कि यदि मुझे नेट बैंकिंग द्वारा या नेट बैंकिंग सेवा के माध्यम से प्रदान की गई खाता जानकारी में कोई त्रुटि मिलती है, तो हम बैंक को जल्द से जल्द सलाह देंगे। बैंक तुरंत त्रुटि को ठीक करने का प्रयास करेगा और त्रुटि से उत्पन्न किसी भी ब्याज या शुल्क को समायोजित करेगा। बयानों के सभी आउटपुट खाते के डुप्लिकेट स्टेटमेंट हैं। और वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उत्पन्न किए जाएंगे और इसमें निहित जानकारी बैंक द्वारा बनाए गए कम्प्यूटरीकृत बैक अप सिस्टम से निकाली जाएगी। फिर बैंक बयान की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा, बैंक किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं / हम सहमत हैं कि मैं / हम बैंक को किसी भी नुकसान, हानि आदि के खिलाफ हानिरहित रखेंगे। यदि उपरोक्त आउटपुट में निहित

जानकारी गलत / गलत निकलती है। इसलिए उसे मेरे / हमारे लिए कष्ट उठाना पड़ सकता है।

17. दायित्व:

a. मैं / हम नेट बैंकिंग के उपयोग से उत्पन्न किसी भी अनधिकृत लेनदेन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, जिसे बैंक के कर्मचारियों के धोखाधड़ी या लापरवाहीपूर्ण व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यदि मैं / हम नियमों और शर्तों का पालन करते हैं और रसीद के तहत बैंक को लिखित सलाह देते हैं, तो मुझे संदेह है कि मेरा / हमारा ग्राहक आईडी या पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को पता है / या मेरे / हमारे नेट बैंकिंग खाते में अनधिकृत लेनदेन को नोटिस करता है। बैंक से ऐसी सलाह प्राप्त करने के बाद बैंकिंग खाते। मैं / हम सहमत हैं कि मैं / हम नेट बैंकिंग खातों में अनधिकृत लेनदेन के कारण होने वाले कुछ या सभी नुकसानों के लिए उत्तरदायी होंगे यदि मैंने शर्तों का उल्लंघन किया है या योगदान दिया है या लापरवाही के कृत्यों से नुकसान पहुंचाया है जैसे:

   i. नेट बैंकिंग पासवर्ड का लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना।

   ii. सभी उचित कदम उठाने या विफल रहने का निर्णय लेना ताकि बैंक कर्मचारियों सहित किसी को भी नेट बैंकिंग पासवर्ड का खुलासा न हो और / या बैंक को उचित समय में ऐसे प्रकटीकरण की सलाह देने में विफल रहे।

   iii. नेट बैंकिंग खातों तक अनधिकृत पहुंच या गलत लेनदेन के बारे में उचित समय में बैंक को सलाह न देना।

b. यदि प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, आग और अन्य प्राकृतिक आपदाओं, कानूनी प्रतिबंधों, दोषों आदि के कारण वांछित तरीके से नेट बैंकिंग पहुंच उपलब्ध नहीं है, तो बैंक किसी भी परिस्थिति में दूरसंचार नेटवर्क या इंटरनेट या नेटवर्क विफलता, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर त्रुटि या बैंक के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण के संदर्भ में ग्राहक को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। किसी भी स्थिति में, बैंक किसी भी परिस्थिति में किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वह प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, परिणामी हो और चाहे कोई दावा राजस्व, निवेश, उत्पादन, सद्भावना, लाभप्रदता, व्यावसायिक व्यवधान या किसी भी चरित्र या प्रकृति के किसी अन्य नुकसान पर आधारित हो।

18. **व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटीकरण:** मैं / हम इस बात से सहमत हैं कि बैंक या उसके ठेकेदार सांख्यिकीय विश्लेषण और क्रेडिट स्कोरिंग के लिए नेट बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में कंप्यूटर पर या अन्यथा मेरी व्यक्तिगत जानकारी डाल सकते हैं और संसाधित कर सकते हैं। मैं / हम इस बात से भी सहमत हैं कि बैंक अन्य संगठनों, जैसे व्यक्तिगत जानकारी, जो निम्नलिखित कारणों से आवश्यक हो सकती है, को सख्त विश्वास में प्रकट कर सकता है: लेकिन इन तक सीमित नहीं है:

   i. कोई दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग नेटवर्क में भागीदारी के लिए।

   ii. कानूनी निर्देश के अनुपालन में।

   iii. किसी मान्यता प्राप्त क्रेडिट स्कोरिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग के लिए।

   iv. धोखाधड़ी की रोकथाम के उद्देश्य से।

19. **बैंक के** लिएन **(धारणाधिकार):** बैंक, चाहे मेरे / हमारे खातों में रखी जमाराशियों पर किसी भी अन्य लिएन या प्रभार की परवाह किए बिना, चाहे वे समान नाम या संयुक्त नाम के हों, नेट बैंकिंग सेवा के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली बकाया राशि, जो चाहे जो भी हो, मेरे / हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली नेट बैंकिंग सेवा के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली बकाया राशि को सेट-ऑफ और ग्रहणाधिकार का हकदार होगा।

20. **स्वामित्व अधिकार:** मैं / हम स्वीकार करते हैं कि नेट बैंकिंग सेवा के तहत सॉफ्टवेयर के साथ-साथ नेट बैंकिंग तक पहुंचने के लिए आवश्यक अन्य इंटरनेट संबंधित सॉफ़्टवेयर संबंधित विक्रेताओं की कानूनी संपत्ति है। नेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए बैंक द्वारा दी गई अनुमति उपरोक्त सॉफ़्टवेयर में किसी भी स्वामित्व अधिकार या स्वामित्व अधिकार को प्रकट नहीं करेगी। मैं / हम सहमत हैं कि मैं / हम उपरोक्त सॉफ़्टवेयर में किसी भी स्वामित्व अधिकार या मालिकाना अधिकारों को नहीं जानेंगे। मैं / हम सहमत हैं कि मैं / हम नेट बैंकिंग के अधीन हैं। सॉफ्टवेयर संशोधित, अनुवादित, विघटन, विघटन, विघटन, विघटन, विघटन या रिवर्स इंजीनियर या सॉफ्टवेयर के आधार पर कोई व्युत्पन्न उत्पाद बनाने का प्रयास नहीं करेगा।

21. **गैर-हस्तांतरणीयता:** मुझे नेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करना किसी भी परिस्थिति में हस्तांतरणीय नहीं है और इसका उपयोग केवल मेरे / हमारे द्वारा किया जाएगा।

22. **नेट बैंकिंग सेवाओं की समाप्ति:**

हम बैंक से कम से कम 15 दिनों की लिखित सूचना के साथ किसी भी समय नेट बैंकिंग सुविधा बंद करने का अनुरोध कर सकते हैं। मैं / हम सहमत हैं कि मैं / हम अपने / अपने नेट बैंकिंग खाते पर नेट बैंकिंग के माध्यम से किए गए किसी भी लेनदेन के लिए उत्तरदायी होंगे। मेरे सभी खातों के बंद होने से नेट बैंकिंग सेवा स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगी। इन नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामले में, बैंक बिना पूर्व सूचना के नेट बैंकिंग सेवाओं को निलंबित या बंद कर सकता है।

23. **सूचना:** बैंक और आई / हम इन नियमों और शर्तों के अनुसार नोटिस जारी कर सकते हैं:

a. इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी पार्टी के मेलबॉक्स में। ऐसे नोटिसों को लिखित में माना जाएगा।

b. उन्हें हाथ से या डाक द्वारा मेरे द्वारा दिए गए अंतिम पते पर पहुंचाना और उन्हें लिखित में बैंक के मामले में निम्नलिखित पते पर भेजना: डीसीबी बैंक, 6 वीं मंजिल, टॉवर ए, पैनिनसुला बिझनेस पार्क, लोअर परेल, मुंबई - 400013।

c. इसके अलावा, बैंक अपनी वेबसाइट पर नेट बैंकिंग के सभी ग्राहकों पर लागू सामान्य प्रकृति के नोटिस भी प्रकाशित कर सकता है। ऐसे नोटिस का वही प्रभाव होगा जो मुझे / हमें व्यक्तिगत रूप से जारी किए गए नोटिस का होगा।

डीसीबी बिजनेस इंटरनेट बैंकिंग के लिए नियम और शर्तें

परिभाषा

डीसीबी बैंक यानी डीसीबी बैंक लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 (CIN: L99999MH1995PLC089008) के तहत निगमित एक बैंकिंग कंपनी है और इसे अर्थ के भीतर मौजूद माना जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत एक बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त और 6 वीं मंजिल पर इसका पंजीकृत कार्यालय, प्रायद्वीप बिजनेस पार्क, टॉवर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013, वह अवधि जिसमें इसके उत्तराधिकारी और नियुक्तियां शामिल होंगी।

एक खाता एक ग्राहक का चालू खाता और / या किसी अन्य प्रकार का डीसीबी बैंक खाता है जो व्यवसाय इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के संचालन के लिए उपलब्ध है।

बिजनेस इंटरनेट बैंकिंग (बीआयबी) सुविधा का अर्थ है बिजनेस इंटरनेट बैंकिंग, डेट ऑनलाइन, फॉरेक्स ऑनलाइन, पेमेंट गेटवे सुविधा, डेरिवेटिव ऑनलाइन और ऐसी अन्य सेवाएं।

ग्राहक यानी डीसीबी बैंक के कॉर्पोरेट ग्राहक ने भविष्य में पेश की जाने वाली व्यावसायिक इंटरनेट बैंकिंग और लेनदेन सेवाओं / सुविधाओं का लाभ उठाया है।

उपयोगकर्ता ग्राहक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को संदर्भित करता है जो वास्तव में ग्राहक के एजेंट के रूप में बीआयबी सुविधा का संचालन करेगा।

डीसीबी बैंक द्वारा उपयोगकर्ता को संबोधित किसी भी संचार को ग्राहक को भी संबोधित किया जाएगा।

ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच

डीसीबी बैंक अपने विवेक पर चयनित ग्राहकों को बीआयबी सुविधा प्रदान कर सकता है। ग्राहक एक इंटरनेट उपयोगकर्ता होगा या उसे इंटरनेट उपयोग का ज्ञान होगा और इंटरनेट कैसे काम करता है।

प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) प्रक्रिया

ग्राहक यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत है कि पासवर्ड किसी भी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं किया गया है और सभी उचित कदम उठाने का वादा करता है।

पहली बार डीसीबी बैंक एक सीलबंद लिफाफे में कूरियर / पोस्ट द्वारा ग्राहक को पासवर्ड भेजेगा। एक बार जब कूरियर ग्राहक के मेलिंग पते पर वितरित हो जाता है, तो इस पासवर्ड के लिए डीसीबी बैंक की देयता बंद हो जाएगी। उपयोगकर्ता को पहली बार पासवर्ड बदलना आवश्यक है। सुरक्षा उपाय के रूप में, उपयोगकर्ता फिर पासवर्ड को बार-बार बदलता है।

ग्राहक आईडी कार्ड और पासवर्ड के लिए और उनके किसी भी नुकसान और अन्य परिणामों के लिए जहां लागू हो, ग्राहक सुरक्षित और उपयोग के लिए उत्तरदायी होगा।

किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा ग्राहक आईडी कार्ड और / या पासवर्ड गोपनीयता के उल्लंघन और उपयोग के मामले में, ग्राहक डीसीबी बैंक को ऐसी किसी भी देयता, लागत और क्रेडेंशियल हानि के खिलाफ मुआवजा देगा। यदि ग्राहक ग्राहक आईडी और / या पासवर्ड खो देता है या भूल जाता है, तो वह डीसीबी बैंक को लिखित अनुरोध भेजकर बदलाव और नए पासवर्ड का अनुरोध कर सकता है।

पेमेंट गेटवे

मर्चेंट एक संगठन है जो डीसीबी बैंक इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की सेवाएं और / या उत्पाद प्रदान करता है / बेचता है।

एग्रीगेटर एक संगठन है जो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान / लेनदेन और संग्रह के व्यवसाय में संलग्न है।

1. हम अपने खाते पर भुगतान गेटवे निर्देशों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के लिए मेरे अनुरोध पर डीसीबी बैंक द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन भुगतान सेवा को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं।
2. हम डीसीबी बैंक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से मर्चेंट / एग्रीगेटर को उल्लिखित राशि का भुगतान स्वीकार करते हैं।
3. डीसीबी बैंक को बिलिंग विवरण प्रदान करने वाले व्यापारी / एग्रीगेटर / सेवा प्रदाता के साथ हमारा किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं है।
4. मैं / हम इसके द्वारा स्वीकार करते हैं कि मैं / हम अपने जोखिम, जिम्मेदारी और जवाबदेही पर इस सेवा / सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।
5. हम सहमत हैं कि डीसीबी बैंक इसके लिए कोई जिम्मेदारी और देयता स्वीकार नहीं करेगा:
   - 5.1. सेवा / सुविधा के तहत अच्छे विश्वास के साथ किए गए लेन-देन मेरे / हमारे निर्देशों पर निर्भर करते हैं।
   - 5.2. गैर-लेन-देन जहां डीसीबी बैंक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि निर्देश सही नहीं हैं या अन्यथा अस्पष्ट, अनुचित, अस्पष्ट या संदिग्ध हैं।
   - 5.3. इस प्रक्रिया में शामिल किसी अन्य इकाई के प्रदर्शन के लिए; और किसी भी त्रुटि, दोष, विफलता या सेवा / सुविधा के व्यवधान या विलंबित भुगतान या गैर-भुगतान से उत्पन्न परिणामों के लिए मुझे / हमें हुई किसी भी क्षति या क्षति के लिए।
   - 5.4. इलेक्ट्रॉनिक अनुदेशों के प्रसारण या वितरण में देरी या वितरण न होने या इसके वितरण में किसी त्रुटि, चूक या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी क्षति, इसके वितरण में चूक या त्रुटि, या किसी कारण से या इसकी गलत व्याख्या से या गंतव्य बैंक के कार्यों या चूक से या किसी अन्य कार्रवाई या चूक से निर्देशों को स्पष्ट करना।
6. जब ऑनलाइन भुगतान सेवा का उपयोग करके खरीदी गई किसी भी वस्तु या प्राप्त किसी भी सेवा के लिए कोई भुगतान किया जाता है, तो मैं / हम यह सुनिश्चित करेंगे कि:
   - 6.1. हम लागू क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्राधिकार में लागू कानूनों और विनियमों का पालन और पालन करेंगे।
   - 6.2. हम समय-समय पर डीसीबी बैंक द्वारा आवश्यक सभी जानकारी, दस्तावेज और / या सहायता प्रदान करेंगे।

7. हम सहमत हैं कि भुगतान के विवरण पर कोई भी विवाद सीधे व्यापारी के साथ सुलझाया जाएगा और डीसीबी बैंक की जिम्मेदारी केवल सूचना के प्रावधान तक सीमित है।
8. हम सहमत हैं कि मैं / हम व्यापारी द्वारा आवश्यक बिल राशि का भुगतान करेंगे। हम गलत या अपूर्ण रिकॉर्ड के कारण मर्चेंट द्वारा भुगतान राशि से इनकार करने के लिए डीसीबी बैंक को जिम्मेदार और उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे।
9. हम इस बात से सहमत हैं कि डीसीबी बैंक को व्यापारी द्वारा माल और सेवाओं की डिलीवरी के प्रावधान या माल की डिलीवरी पर माल की स्थिति या व्यापारी द्वारा अनजाने में किसी अन्य ग्राहक को माल की डिलीवरी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। डीसीबी बैंक की भूमिका केवल सूचना और भुगतान गेटवे सेवाओं / सुविधाओं के प्रावधान तक सीमित है। माल और सेवाओं की सुपुर्दगी / स्थिति / गुणवत्ता से संबंधित सभी विवादों को सीधे व्यापारी के साथ उठाया जाना चाहिए।
10. हम सहमत हैं कि यदि ऑनलाइन भुगतान सेवा / सुविधा के लिए कोई शुल्क केवल डीसीबी बैंक और डीसीबी बैंक के विवेक पर है, तो मुझे / हमारे पास बिना किसी सूचना के समय-समय पर समान परिवर्तन करने की स्वतंत्रता है।
11. मैं / हम इस बात से सहमत हैं कि डीसीबी बैंक को मेरे खाते में किसी भी डेबिट को बदलने का अधिकार है (लेकिन शुल्क के रूप में नहीं) केवल मेरे / हम पर माल / सेवाओं की अनुपलब्धता / वितरण के कारण / माल / सेवाओं की अनुपलब्धता / वितरण के कारण या किसी अन्य कारण से (लेकिन शुल्क के रूप में नहीं) विशिष्ट कारण निर्धारित करता है। और व्यापारी / सेवा प्रदाता द्वारा इसकी पुष्टि पर। हम बैंक को जवाबदेह नहीं ठहराएंगे और ऐसी डेबिट प्रविष्टि (आईईएस) को वापस लेने में देरी के मामले में जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा।
12. हम इस बात से सहमत हैं कि माल की डिलीवरी न होने / माल की अस्वीकृति के कारण सभी रिफंड व्यापारी / एग्रीगेटर के अनुरोध के अनुसार किए जाएंगे।
13. हम किसी भी अवैध या अनुचित या अवैध उद्देश्यों के लिए भुगतान गेटवे सेवाओं / सुविधाओं या किसी भी संबंधित सेवाओं / सुविधाओं के उपयोग की अनुमति या अनुमति नहीं देने के लिए सहमत हैं।
14. हम समझते हैं, स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि डीसीबी बैंक इस सेवा के लिए केवल एक सुविधाप्रदाता है और डीसीबी बैंक उसी सेवा / सुविधा के लिए किसी भी जिम्मेदारी और देयता की गारंटी या दावा नहीं करता है या डीसीबी बैंक ऐसी किसी भी सेवा / सुविधाओं और / या इसकी स्थिति या प्रतिष्ठा का समर्थन नहीं करता है और डीसीबी बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी नहीं है और जिम्मेदार और उत्तरदायी नहीं है। किसी भी तरह से और किसी भी नुकसान के लिए, मुझे किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में जोखिम पूरी तरह से मुझ पर है
15. हम सहमत हैं कि डीसीबी बैंक को किसी भी समय, बिना किसी नोटिस के, किसी भी या सभी खातों के संबंध में पैसे निकालने की स्वतंत्रता है।
16. हम डीसीबी बैंक से अनुरोध कर सकते हैं कि वह कम से कम 3 कार्य दिवसों की लिखित सूचना देकर किसी भी समय सेवा / सुविधा समाप्त कर दे। समाप्ति तीसरे कार्य दिवस के पूरा होने पर होगी। मैं / हम ऐसी समाप्ति के समय तक सेवा / सुविधा द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन के लिए उत्तरदायी और उत्तरदायी होंगे। डीसीबी बैंक किसी भी समय किसी विशेष व्यापारी या उपयोगकर्ता के संबंध में ऑनलाइन भुगतान सेवा / सुविधा को पूरी तरह से या समाप्त कर सकता है; या यदि मैं / हमारे द्वारा पूर्व सूचना के बिना नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता हूं।
17. मैं / हम सहमत हैं कि इस ऑनलाइन भुगतान सेवा / सुविधा का उपयोग करके, मैं / हम यहां उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों से सहमत होंगे और ऐसे नियम और शर्तें मेरे / हमारे लिए उसी तरह से बाध्यकारी होंगी जैसे मैं / हम लिखित रूप में सहमत हुए हैं।

विनियमन अधिनियम और अधिकार क्षेत्र

इन प्रपत्रों के तहत नियमों और शर्तों और प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा, और भारतीय कानून के अनुसार व्याख्या की जाएगी और किसी भी विवाद के मामले में बॉम्बे की अदालतों के पास विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

समाप्ति की घटनाएँ

समाप्ति के मामले में, डीसीबी बैंक ऐसी समाप्ति की तारीख तक सभी शुल्क और अन्य भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा। डीसीबी बैंक किसी भी राशि को काटने के लिए पात्र होगा।

किसी भी राशि से देय डीसीबी बैंक को सेवा / सुविधा की समाप्ति के बाद ग्राहक को भेजना पड़ सकता है।

सेवाओं / सुविधाओं और सेवाओं / सुविधाओं के निबंधन एवं शर्तों को संशोधित करने का अधिकार

डीसीबी बैंक किसी भी सेवा / सुविधाओं को जोड़ने, संशोधित करने, निलंबित करने या रद्द करने और नियमों और शर्तों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अन्य वेबसाइटों के लिए लिंक

डीसीबी बैंक की वेबसाइट पर अन्य पार्टियों द्वारा चलाई जा रही अन्य वेबसाइटों के लिंक हो सकते हैं। ऐसे लिंक ग्राहक की सुविधा के लिए प्रदान किए जाते हैं और डीसीबी बैंक ऐसी वेबसाइटों को नियंत्रित या समर्थन नहीं करता है और डीसीबी बैंक ऐसी वेबसाइटों द्वारा प्राप्त उनकी सामग्री और सुविधाओं / सेवाओं के लिए जिम्मेदार और जिम्मेदार नहीं होगा।

G. डेबिट कार्ड

व्याख्या / परिभाषा

- "द बैंक", यानी डीसीबी बैंक और उसके उत्तराधिकारी और नियुक्तियां।
- "कार्ड" या "डेबिट कार्ड", यानी डीसीबी बैंक द्वारा कार्डधारक को जारी डीसीबी डेबिट कार्ड और जूनियर सेवर डेबिट कार्ड।
- "कार्डधारक, "आपको, "उसे या इसी तरह के सर्वनामों का उल्लेख करना चाहिए, जहां इसे संदर्भ के रूप में स्वीकार किया जाएगा। डीसीबी बैंक का एक ग्राहक जिसे डीसीबी डेबिट

कार्ड या जूनियर सेवर डेबिट कार्ड जारी किया गया है। डीसीबी बैंक द्वारा एक नामित खाते पर संचालन में कार्डधारक के सभी संदर्भों में स्त्री लिंग भी शामिल होगा।

- "खाता", कार्डधारक या किसी अन्य लागू खाते की बचत या चालू खातों को संदर्भित करता है जिसे डीसीबी बैंक द्वारा डेबिट कार्ड के वैध संचालन के लिए पात्र खाते के रूप में नामित किया गया है। कार्डधारक को अकेले कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए यदि वह या तो खाता धारक या एकमात्र हस्ताक्षरकर्ता है या एक से अधिक खाताधारक / हस्ताक्षरकर्ता है।
- "प्राथमिक खाता", यानी कार्ड से जुड़े कई खातों के मामले में, जिसे खाता संचालन के मुख्य / पहले खाते के रूप में नामित किया गया है। यानी जिस अकाउंट से खरीदारी का लेन-देन, कैश विदड्रॉल चार्ज और कार्ड से जुड़े चार्ज डेबिट किए जाते हैं।
- "नामांकित खाते", जैसा कि ऊपर वर्णित है, में एक प्राथमिक खाता शामिल है, और यह अपने डेबिट कार्ड और पिन तक पहुंच के लिए उसके द्वारा नामित कार्डधारक के खाते तक पहुंच को इंगित करता है।
- "एटीएम", एक स्वचालित टेलर मशीन को संदर्भित करता है चाहे वह भारत में हो या विदेश में, चाहे वह डीसीबी बैंक हो या साझा नेटवर्क पर कोई अन्य बैंक हो, जिसमें, अन्य बातों के अलावा, कार्डधारक अपने धन तक पहुंचने के लिए अपने डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकता है।
- "पिन", जिसका अर्थ है डीसीबी बैंक द्वारा कार्डधारक को आवंटित व्यक्तिगत पहचान संख्या (एटीएम तक पहुंचने के लिए आवश्यक) जिसे उसने समय-समय पर चुना है।
- "लेनदेन" का अर्थ है कार्डधारक द्वारा डीसीबी बैंक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने कार्ड का उपयोग करके खाते पर कार्रवाई करने के लिए दिया गया कोई भी नोटिस। (लेन-देन उदाहरण खुदरा खरीद, नकद निकासी, नकद / चेक जमा, आदि हो सकते हैं।
- "अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन", कार्डधारक द्वारा भारत, नेपाल और भूटान के बाहर अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए लेनदेन को संदर्भित करता है।
- "स्टेटमेंट" का अर्थ है कि डीसीबी बैंक द्वारा कार्डधारक को कार्डधारक को भेजे गए खाते का आवधिक विवरण जो दी गई अवधि के भीतर कार्डधारक द्वारा किए गए लेनदेन और शेष राशि को निर्धारित करता है। इसमें कोई अन्य जानकारी भी शामिल हो सकती है जिसे डीसीबी बैंक शामिल करना उचित समझे।
- "व्यापारी" या "व्यापारी प्रतिष्ठान", जिसका अर्थ है कि जहां भी है, प्रतिष्ठान जो स्वीकार करेंगे / सम्मान कार्ड और अन्य शामिल होंगे: स्टोर, दुकानें, रेस्तरां, एयरलाइन प्रतिष्ठान, आदि। डीसीबी बैंक या वीज़ा इंटरनेशनल द्वारा विज्ञापित।
- "ईडीसी" या इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर", इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल स्वाइप टर्मिनलों को संदर्भित करता है, चाहे भारत में या विदेशों में, डीसीबी बैंक या किसी अन्य बैंक द्वारा साझा नेटवर्क पर अनुबंधित, जो व्यापारी प्रतिष्ठानों से खरीद लेनदेन के लिए खातों (खातों) को डेबिट करने की अनुमति देता है।
- "वीजा", जिसका अर्थ है कि वीजा इंटरनेशनल के स्वामित्व में है और आम तौर पर संबंधित ट्रेडमार्क है।
- "वीजा / प्लस एटीएम नेटवर्क", जिसका अर्थ है कि एक एटीएम है जो डेबिट कार्ड का सम्मान करता है और वीजा / प्लस या इलेक्ट्रॉन प्रतीकों को प्रदर्शित करता है।
- डेबिट कार्ड ("कार्ड") डीसीबी बैंक द्वारा जारी किया जाता है") में 6 वीं मंजिल पर एक पंजीकृत कार्यालय है, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, लोअर परेल, मुंबई - 400013, 6 वीं मंजिल पर, यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों पर।

कार्ड के सामने

- कार्ड नंबर: यह आपका विशेष 16 अंकों का कार्ड नंबर है। कृपया बैंक के साथ सभी संचार / पत्राचार में इस संख्या को उद्धृत करें।
- ग्राहक आईडी : केवल आप अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं।
- (एमएम-वाईवाई प्रारूप) के माध्यम से मान्य: आपका डेबिट कार्ड कार्ड पर दिखाए गए वर्ष के अंतिम दिन तक मान्य है।
- वीज़ा लोगो और होलोग्राम: कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो इस लोगो को प्रदर्शित करता है, वह दुनिया भर में आपके डेबिट कार्ड को स्वीकार करता है।
- इलेक्ट्रॉनिक उपयोग संकेत: खरीद लेनदेन के मामले में, डेबिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल स्वाइप टर्मिनल के साथ मर्चेंट आउटलेट पर किया जा सकता है। कृपया "पेपर प्रिंटर" वाले व्यापारियों के लिए या मेल / टेलीफोन ऑर्डर लेनदेन के लिए अपने कार्ड का उपयोग करने का प्रयास न करें।

कार्ड के पीछे

- मैग्नेटिक स्ट्रिप: आपके डेबिट कार्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहां एन्कोडेड है। कृपया अपने कार्ड को मैग्नेट और चुंबकीय क्षेत्रों के खरोंच या संपर्क से बचाएं क्योंकि वे पट्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- हस्ताक्षर पैनल: कृपया अपना कार्ड प्राप्त करने के तुरंत बाद बैक पैनल पर एक गैर-विविध बॉलपॉइंट पेन (अधिमानतः काली स्याही में) पर हस्ताक्षर करें। चार्ज स्लिप एंटरेंट आउटलेट पर हस्ताक्षर करने के लिए आप जिस हस्ताक्षर का उपयोग करते हैं, वह कार्ड पर हस्ताक्षर के समान होना चाहिए।

- डीसीबी कस्टमर केयर: यदि आपको अपने डेबिट कार्ड के सम्बंधित किसी भी समस्या या मदद की आवश्यकता हो, तो आप हमारी इस हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी संपर्क (कॉल) कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर: (022) 6899 7777 / (040) 6815 7777।
- पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर (पिन): एटीएम में अपने कार्ड के इस्तेमाल के लिए आपको एक गोपनीय पिन मिलेगा।

अपने डेबिट कार्ड सक्रियण को जानें

- एटीएम में अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए आपको एक व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) अलग से भेजी जाएगी।
- किसी भी समस्या के मामले में कृपया हमारे ग्राहक सेवा केंद्र (022) 6899 7777 / (040) 6815 7777 से संपर्क करें। हमें आपकी मदद करने में खुशी होगी।
- कार्ड का उपयोग आपके द्वारा डीसीबी डेबिट कार्ड के नियमों और शर्तों की स्वीकृति माना जाएगा।

उपयोग दिशानिर्देश

- डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड बेहद बहुमुखी और उपयोग में आसान है, जो भारत और विदेश दोनों में मान्य है।

अंतर्राष्ट्रीय उपयोग

- आपका डेबिट कार्ड भारत और विदेशों में भी मान्य है। हालांकि, नेपाल और भूटान की यात्रा करते समय भारत, नेपाल और भूटान की स्थानीय मुद्राओं के अलावा अन्य मुद्राओं में लेनदेन करना कानूनी नहीं है। हालांकि, यदि आपका कार्ड रुपी कार्ड है, तो उस कार्ड का उपयोग करके भूटान में लेनदेन किया जा सकता है।
- विदेश में आपके सभी डेबिट कार्ड लेनदेन (खरीद के साथ-साथ नकद निकासी) को रिज़र्व बैंक के विनिमय नियंत्रण नियमों या समय-समय पर लागू किसी अन्य नियमों के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए। आरबीआय के दिशानिर्देशों या किसी अन्य नियमों का पालन करने में विफलता आपको विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 19 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बना देगी।
- जब आप आधार यात्रा कोटा (बीटीक्यू) के तहत विदेशी मुद्रा लाभ प्राप्त करते हैं, तो आप अपने पासपोर्ट को अधिकृत डीलर द्वारा अनुमोदित कर सकते हैं। यदि आप चाहें, तो आप डीसीबी बैंक को अपने अधिकृत डीलर के रूप में चुन सकते हैं।
- विदेश में अपने डेबिट कार्ड के उपयोग के बारे में विस्तृत निर्देश "विदेश में अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करना" अनुभाग में पाया जा सकता है।
- आपके डीसीबी बैंक कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का चयन करने के लिए आपका पैन बैंक रिकॉर्ड में विधिवत अपडेट होना चाहिए।

मर्चेंट आउटलेट लेनदेन (पॉइंट ऑफ सेल / पर्चेस)

- भारत और दुनिया भर में किसी भी व्यापारी आउटलेट पर खरीदारी के लिए अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करना (जहां वीज़ा / रुपे कार्ड स्वीकार किए जाते हैं), पूर्ण खरीद संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए सरल चरणों का पालन करें।
- कृपया ध्यान दें कि चूंकि डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए हस्ताक्षर सत्यापन आवश्यक है, इसलिए आपको खरीद के समय अपने कार्ड के साथ शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए। कृपया मेल ऑर्डर और टेलीफोन ऑर्डर और इंटरनेट खरीद लेनदेन के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग न करें।
- पॉइंट-ऑफ-सेल व्यापारी प्रतिष्ठान में वीजा / वीज़ा इलेक्ट्रो / रूपी आइकन की खोज करें। व्यापारी के पास इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल कार्ड स्वाइपिंग टर्मिनल होना चाहिए।
- अपनी खरीदारी करने के बाद अपना डेबिट कार्ड जमा करें।
- कार्ड को प्राधिकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर टर्मिनल (पीओएस / ईडीसी मशीन) पर व्यापारी द्वारा स्वाइप / डिप-इन किया जाएगा।
- सफल प्राधिकरण के बाद, आपके खाते को लेनदेन की गई राशि के लिए डेबिट किया जाएगा। कभी-कभी लेनदेन राशि और / या नोट्स, अधिभार या असाधारण लेनदेन राशि बाद में / बाद की तारीख में आपके खाते में डेबिट की जाती है। आपकी सीमा आपके खाते में शेष राशि के बराबर है, दैनिक लेनदेन सीमा के अधीन है। दैनिक पीओएस लेनदेन सीमा लागू होगी।
- बिक्री पर्ची उत्पन्न की जाएगी।
- बिक्री पर्ची की जाँच करें और हस्ताक्षर करें। आपके हस्ताक्षर कार्ड के विपरीत दिशा में मेल खाने की आवश्यकता है। (दूसरा) इस घटक सत्यापन [यानी 4 अंकों का पिन, आदि] के मामले में, भौतिक प्रतीक अनिवार्य नहीं है)।
- सुनिश्चित करें कि आपका कार्ड आपको वापस कर दिया गया है।
- बिक्री पर्ची की अपनी प्रतिलिपि को भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजें।
- एक व्यापारी प्रतिष्ठान में कार्ड का उपयोग करते समय, खरीद की राशि हमेशा डेबिट कार्ड के नामित प्राथमिक खाते में डेबिट की जाएगी। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके खाते में डेबिट, पेट्रोल / रेलवे अधिभार या किसी अन्य असाधारण लेनदेन को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया गया है जो आपके खाते में देर से डेबिट किए जाते हैं।

ऑनलाइन (ई-कॉमर्स / कार्ड नॉट प्रेज़ेंट) व्यवहार :

- ऑनलाइन शॉपिंग / भुगतान आपके डेबिट कार्ड का उपयोग करके भारत और विदेशों में किया जा सकता है *

- ऑनलाइन भुगतान को पूरा करने के लिए दूसरे तत्व प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, दूसरे तत्व प्रमाणीकरण को "कार्ड पर विवरण मौजूद नहीं हैं और केवल कार्ड को ज्ञात हैं" कहा जाता है।
- डीसीबी डेबिट कार्ड वेबसाइट / मोबाइल एप्लिकेशन पर काम नहीं करेगा जो आपके लेनदेन / भुगतान का सम्मान करने के लिए दूसरे तत्व प्रमाणीकरण (ओटीपी - वन टाइम पासवर्ड) प्रमाणीकरण के लिए नहीं पूछता है।
- कार्डधारक सहमत है, समझता है और पुष्टि करता है कि इंटरनेट पर प्रसारित डेबिट कार्ड से जुड़ी सीमाओं के बिना उसके व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग की संभावना हो सकती है, डीसीबी बैंक का हैकिंग, चोरी और / या धोखाधड़ी और ऐसे मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं है। कार्डधारक को डीसीबी डेबिट कार्ड का उपयोग केवल लेनदेन / भुगतान के लिए करते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए।
- जबकि कार्डधारक द्वारा प्रेषित किसी भी जानकारी के अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा के लिए सभी उचित सावधानी बरती गई है, डीसीबी बैंक प्रदान की गई सेवाओं के उपयोग का प्रतिनिधित्व या गारंटी नहीं देता है / जिससे इंटरनेट पर डेटा की चोरी और / या अनधिकृत उपयोग नहीं होगा।
- डीसीबी बैंक, किसी भी समय, प्रदर्शन, त्रुटियों, त्रुटियों, रुकावटों, विलोपन, दोषों, संचालन या प्रसारण में देरी, कंप्यूटर वायरस, संचार लाइन विफलताओं, चोरी या विनाश या अनधिकृत पहुंच, परिवर्तन, या वेबसाइट पर निहित जानकारी के उपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

एटीएम का उपयोग

- आप भारत में किसी भी डीसीबी बैंक एटीएम पर नकद निकासी, बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट अनुरोध, पिन परिवर्तन, चेक बुक अनुरोध, फंड ट्रांसफर, प्री-पेड मोबाइल रिचार्ज और किसी भी अन्य लेनदेन के लिए अपने डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- इसके अलावा, आप भारत और विदेशों में किसी भी वीजा एटीएम पर नकद निकासी और शेष पूछताछ के लिए अपने खाते तक पहुंचने के लिए अपने डेबिट कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं।
- आम्ही आपल्याला इतर कोणत्याही एटीएम सामायिकरण व्यवस्थेशी संवाद साधू, ज्यात डीसीबी बँक वेळोवेळी प्रवेश करू शकते जेणेकरून आमच्याबरोबरच्या आपल्या खात्यात प्रवेश करण्यासाठी आपली पोहोच वाढविणे सुलभ होईल।
- कार्ड का उपयोग भारत के बाहर के स्थानों में भी किया जा सकता है और अधिग्रहण बैंक द्वारा लगाए गए किसी भी शुल्क को उस खाते से लिया जाएगा जिसमें कार्ड जुड़ा हुआ है।

कृपया ध्यान दें:

- डीसीबी बैंक के एटीएम या वीजा एटीएम में नकद निकासी / शेष पूछताछ / अन्य लेनदेन के लिए शुल्क सेवा शुल्क अनुसूची के अनुसार होगा। कृपया अपनी निकटतम डीसीबी बैंक शाखा से संपर्क करें या जानकारी के लिए www.dcbbank.com हमारी वेबसाइट पर जाएं।
- कृपया ध्यान दें कि डीसीबी बैंक एटीएम के अलावा सभी लेनदेन (स्वीकृत या अस्वीकृत) पर बैंक द्वारा निर्धारित लेनदेन शुल्क लिया जाता है और बिना पूर्व सूचना के समय-समय पर परिवर्तन के अधीन होता है।
- बैंक रिकॉर्ड के अनुसार, किसी भी उपयोग की जानकारी ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर (आरएमएन) और / या ईमेल आईडी (एनआरआई ग्राहक के मामले में ईमेल आईडी) पर भेजी जाएगी। बैंक रिकॉर्ड में बदलाव करने के लिए कार्डधारक की कोई जिम्मेदारी होगी।
- आरबीआई के नियमों के अनुसार, कार्ड जारी करने / सक्रिय करने के समय अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और ऑनलाइन लेनदेन "अक्षम" स्थिति में होते हैं। एक बार कार्ड धारक कार्ड को सक्रिय कर देता है, तो ग्राहकों को इसे सक्षम करने के लिए अनुरोध करना होगा।

आपके डेबिट कार्ड के लाभ

अतिरिक्त कार्ड

- खाते में संयुक्त खाता धारकों को अतिरिक्त कार्ड जारी किए जाएंगे, यदि खाते के लिए परिचालन निर्देश "स्वयं", "या तो या उत्तरजीवी", "कोई भी एक या उत्तरजीवी" हैं। शुल्क समय-समय पर लागू दर के अनुसार लगाए जाएंगे।

बीमा

झीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी

यदि डीसीबी बैंक का आपका डेबिट कार्ड कभी खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो आप भारत में डीसीबी बैंक द्वारा किए गए नुकसान के बारे में सूचित किए जाने के बाद से धोखाधड़ी वाले खरीद लेनदेन से सुरक्षित हैं। (हमारे ग्राहक सेवा केंद्र 022 - 6899 7777 / 040 - 6815 7777 पर कॉल करें)। कृपया लिखित में नुकसान की पुष्टि करें: डीसीबी बैंक, एनपीसी, नंबर. 2, थानिकाचलम रोड, टी नगर, चेन्नई - 600017।

कृपया ध्यान दें कि यह कवर केवल दुकानों, एमई और पीओएस के बीच धोखाधड़ी भुगतान लेनदेन के लिए मान्य है। बीमा एटीएम लेनदेन के लिए मान्य नहीं है, क्योंकि केवल पिन जिसे आप जानते हैं, आवश्यक है। आपको खोए हुए / चोरी हुए कार्ड के लिए पुलिस शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता है। डीसीबी बैंक लिखित सूचना मिलते ही आपके कार्ड को बदलने की व्यवस्था करेगा। यह कवर केवल किसी भी दुरुपयोग के लिए मान्य है जिसके परिणामस्वरूप रिपोर्ट किए गए नुकसान से 3 दिन पहले और लापता रिपोर्ट के 5 दिन बाद वित्तीय नुकसान होता है। यदि आप अपना कार्ड खोने की सूचना देने के बाद अपना कार्ड पुनर्प्राप्त करते हैं, तो कृपया इसका उपयोग करने का प्रयास न करें। इसके बजाय, कृपया कार्ड को चुंबकीय पट्टी के माध्यम से कई टुकड़ों में काटकर नष्ट कर दें।

ग्राहक सेवा केंद्र

- अपने डेबिट कार्ड के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया डीसीबी बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र (022) से 6899 7777 / (040) 6815 7777 पर संपर्क करें।

खाता विवरण

- अतिरिक्त कार्ड के साथ आपके डेबिट कार्ड पर लेनदेन समय-समय पर भेजे गए आपके नियमित बैंक खाता विवरण पर प्रासंगिक विवरण के साथ दिखाई देगा। अतिरिक्त कार्डधारकों को अलग से खाता विवरण प्राप्त नहीं होगा।

अपने डेबिट कार्ड का ध्यान रखना

इन सरल दिशानिर्देशों का पालन करने से यह सुनिश्चित होगा कि डीसीबी बैंक से अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करना एक सुखद अनुभव है।

- अपने डेबिट कार्ड के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप नकदी के साथ करते हैं। इसे हमेशा अपने साथ रखें और इसे कभी नजरअंदाज न करें।
- आपका डेबिट कार्ड केवल आपके अनन्य उपयोग के लिए है। यह डीसीबी बैंक की एक शाखा में नामित बैंक अधिकारी के अलावा किसी और को समर्पित नहीं होना चाहिए और वह भी चुंबकीय पट्टी के कई टुकड़ों को काटने के बाद ही।
- कभी भी किसी को अपना व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) प्रकट या प्रस्तुत न करें। कृपया पिन याद रखने के बाद उसके सभी प्रमाण हटा दें। इसे डेबिट कार्ड पर न लिखें और न ही इसकी लिखित प्रति अपने डेबिट कार्ड के पास रखें। यह भी अनुशंसा की जाती है कि आप जितनी जल्दी हो सके और नियमित अंतराल पर अपनी पसंद के कई स्थानों पर पिन बदलें। (फिर तीन महीने में कम से कम एक बार।
- यदि आपका कार्ड खो गया है / चोरी हो गया है, या यदि आपको संदेह है कि आपके कार्ड का उपयोग धोखाधड़ी से किया गया है, तो नुकसान की रिपोर्ट करने के लिए तुरंत ग्राहक सेवा केंद्र (022) 6899 7777 / (040) 6815 7777 पर कॉल करें।
- यदि आपको अपने कार्ड को फिर से जारी करने या समाप्त करने की आवश्यकता है, तो कृपया डीसीबी बैंक शाखा को लिखित में अपना अनुरोध भेजें जहां आपका खाता है। आपको लागू दर पर एक प्रतिस्थापन कार्ड प्रदान किया जाएगा। कार्ड समाप्त होने या आपका खाता बंद होने के बाद, कृपया अपने डेबिट कार्ड को चुंबकीय पट्टी के साथ कई टुकड़ों में काट लें।
- व्यापारी प्रतिष्ठानों में लेन-देन करते समय हमेशा सुनिश्चित करें कि डेबिट कार्ड आपकी उपस्थिति में स्वाइप किया गया हो। कभी भी अधूरी बिक्री पर्ची पर हस्ताक्षर न करें।
- उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करने की कोशिश न करें जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल स्वाइप टर्मिनल नहीं है।
- टेलीफोन / मेल / इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करने के लिए अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करने का प्रयास न करें।
- कृपया अपने टेलीफोन नंबर या मेलिंग पते में किसी भी बदलाव के बारे में लिखित में डीसीबी बैंक को तुरंत सूचित करें।

विदेश में अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करना

- विदेश में किए गए सभी खर्चों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआय) के विनिमय नियंत्रण नियमों के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि विदेश में आपके द्वारा किया गया कुल खर्च (जैसे नकद / यात्री चेक / आपके बैंक खाते / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से) आरबीआय द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसा कि समय-समय पर प्रचलित है।
- विदेशी मुद्रा अधिकार (मुद्रण की तारीख के नियमों के अनुसार)। मूल यात्रा कोटा (बीटीक्यू):

  निवासी भारतीयों को किसी देश (नेपाल या भूटान को छोड़कर) से अधिक या समकक्ष किसी भी निजी यात्रा के लिए एक कैलेंडर वर्ष में USD10,000 से अधिक या USD10,000 प्रति व्यक्ति से अधिक नहीं होने वाले बीटीक्यू पात्रता की अनुमति है।

  व्यापार यात्रा और मनोरंजन भत्ता: विदेशी मुद्रा प्रति यात्रा यूएस USD 25,000 से अधिक नहीं है, भले ही रहने की लंबाई कुछ भी हो, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए या सम्मेलनों में भाग लेने के लिए या सेमिनारों के लिए।
- विनिमय नियंत्रण नियमों का पालन करने के लिए, जब आप विदेशी मुद्रा का लाभ उठाते हैं तो आपको अपने पासपोर्ट को अधिकृत डीलर बीटीक्यू द्वारा अनुमोदित करना होगा। आप अपने अधिकृत डीलर होने के लिए डीसीबी बैंक चुन सकते हैं।
- कृपया ध्यान दें कि आपका खाता विवरण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड लेनदेन दोनों को दर्शाता है।
- अपने विदेशी खर्चों को ट्रैक करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे आरबीआई की अनुमेय सीमाओं के भीतर हैं, आपको दिन की टीटी बिक्री दर का उपयोग करके प्रत्येक विदेशी लेनदेन के लिए अपने स्टेटमेंट पर दर्शाए गए रुपये की समान राशि को अमेरिकी डॉलर में बदलना होगा, जिसे आपके अधिकृत डीलर से प्राप्त किया जा सकता है।
- आपके अतिरिक्त कार्डधारकों (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) द्वारा किए गए सभी लेनदेन आपके खाते के विवरण पर भी दिखाई देंगे। अतिरिक्त कार्डधारक बीटीक्यू के तहत ली गई विदेशी मुद्रा के लिए अपने पासपोर्ट प्रदान कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे आरबीआई के विनिमय नियंत्रण नियमों के अनुसार विदेशों में खर्च करें।
- कृपया सभी वीजा एटीएम की व्यापक सूची के लिए वीजा वेबसाइट पर जाएं www.visa.com
- यदि आप किसी भी वीज़ा एटीएम से नकदी नहीं निकाल सकते हैं, तो कम निकालने का प्रयास

- करें (क्योंकि कुछ एटीएम में नकदी वितरण सीमा होती है) या कुछ मिनट बाद प्रयास करें (क्योंकि नेटवर्क सर्वर नीचे जा सकता है)।
- सभी एटीएम में बैलेंस इन्क्वायरी का विकल्प नहीं होता है।
- विदेश में वीजा एटीएम में नकद निकासी के समय, स्क्रीन उन खातों के प्रकारों के लिए 3 विकल्प दिखाती है जिन्हें आप लेनदेन को प्रभावित कर सकते हैं: 1) क्रेडिट 2) बचत 3) चेक कृपया क्रेडिट विकल्प का चयन करें, क्योंकि अन्य विकल्प वीजा नेटवर्क पर हिट नहीं होते हैं।
- विदेशों में कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, आपको कैशियर को अपने डीसीबी डेबिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड के रूप में स्वाइप करने के लिए कहना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ देशों में "डेबिट" केवल स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा होता है और लेनदेन को अस्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि यह वीजा नेटवर्क तक नहीं पहुंचेगा। आपका कार्ड डेबिट कार्ड के रूप में कार्य करना जारी रखेगा।
- कार्ड की वैधता की जांच करने के लिए, कुछ पॉइंट-ऑफ-सेल लेनदेन आमतौर पर मामूली राशि के लिए होते हैं। आपका खाता शुरू में केवल इतनी मामूली राशि के लिए डेबिट किया जाएगा। हालांकि, वास्तविक लेनदेन राशि बाद में और अलग से आपके खाते में डेबिट की जाएगी। कृपया ऐसे विलंबित डेबिट को पूरा करने के लिए अपने खाते में पर्याप्त शेष राशि रखना सुनिश्चित करें।
- यदि डेबिट कार्ड का उपयोग व्यवसाय और व्यक्तिगत खर्चों दोनों के लिए किया जा रहा है, तो दोनों को अलग-अलग ट्रैक करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप मूल यात्रा कोटा और व्यावसायिक यात्रा अनुमत सीमा दोनों का पालन कर रहे हैं।
- इन डेबिट कार्डों के उपयोग से उत्पन्न विनिमय नियंत्रण नियमों का उल्लंघन व्यक्तिगत कार्डधारक (प्राथमिक / अतिरिक्त) की जिम्मेदारी है और वह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 और समय-समय पर लागू किसी भी अन्य नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। कृपया ध्यान दें कि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य डेबिट कार्ड धारक की है।
- उदारीकृत प्रेषण योजना लेनदेन लागत के आधार पर किसी भी विदेशी खर्च की रिपोर्ट करेगी और यदि ग्राहक सीमा पार कर गया है, तो वह फेमा दिशानिर्देशों / बैंक की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लागू मानदंडों का पालन करेगा।
- अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए स्रोत पर कर (टीसीएस) चार्जिंग क्लॉज को निम्नानुसार शामिल किया जाएगा: कृपया ध्यान दें कि 1 अक्टूबर, 2020 से उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत डेबिट कार्ड लेनदेन सहित सभी विदेशी प्रेषण लेनदेन यहां कर संग्रह के अधीन होंगे।
  आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 सी के तहत स्रोत (टीसीएस) 5% पर लागू होगा टीसीएस एक वित्तीय वर्ष में ₹ 7 लाख से अधिक के एलआरएस के तहत सकल विदेशी प्रेषण / अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड लेनदेन पर लागू होगा।

लेन-देन का प्रकार	टीसीएस लागू
डीसीबी डेबिट कार्ड और डीसीबी नियो ग्लोबल कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन (गतिशील मुद्रा रूपांतरण के साथ - डीसीसी व्यवहार)	हर कार्ड आधारित विदेशी लेनदेन पर 5% का टैक्स लागू होगा। यदि किसी वित्त वर्ष में विदेशी लेनदेन का संचयी मूल्य ₹ 7 लाख से अधिक नहीं है, तो टीसीएस राशि लेनदेन की तारीख से 12 दिनों के भीतर उस खाते में वापस कर दी जाएगी, जहां से इसे डेबिट किया गया है। यदि प्रेषित राशि किसी वित्तीय संस्थान से ऋण के माध्यम से शिक्षित करने का इरादा है, तो लेनदेन के समय टीसीएस पर 5% शुल्क लगाया जाएगा। नीचे उल्लिखित दस्तावेजों के ई-मेल से लेनदेन की तारीख से 12 दिनों के भीतर रिफंड लागू हो जाएगा customercare@dcbbank.com a. शैक्षिक प्रयोजनों के लिए स्वीकृत ऋण स्वीकृति पत्र और b. निधियों के स्रोत का निर्धारण करने के लिए डीसीबी बैंक कार्ड / ऋण खाते में निधियों के अंतरण के लिए विवरण यदि सभी स्रोतों से ₹ 7 लाख के प्रेषण की नियामक सीमा पार हो जाती है, तो विदेशी शिक्षा पर टीसीएस के लिए 0.5% देने के बाद टीसीएस का रिटर्न केवल 4.5% की दर से प्रभावित होगा, यदि उपरोक्त दस्तावेज बैंक को ईमेल किए गए हैं।

कृपया अंतर्राष्ट्रीय कार्ड लेनदेन, टीसीएस राशि, प्रेषण शुल्क, संवाददाता बैंक शुल्क और अन्य करों / शुल्कों सहित खाते में पर्याप्त धन प्रदान करना सुनिश्चित करें। खाते में अपर्याप्त धन के मामले में लेनदेन / लेनदेन संसाधित नहीं किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि काटा गया टीसीएस रिफंड रिफंड के संदर्भ में बैंक द्वारा वापस नहीं किया जा सकता है।

कार्ड लेनदेन के मामले में, एक बार एकत्र किए गए टीसीएस को बैंक द्वारा केवल तभी वापस किया जा सकता है जब लेनदेन की तारीख को ही लेनदेन उलट या रद्द कर दिया जाता है।

हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि लागू आयकर प्रावधानों के अधीन आयकर रिटर्न दाखिल करके टीसीएस क्रेडिट का दावा किया जा सकता है।

सभी विदेशी खर्चों को वीजा विनिमय दर में परिवर्तित किया जाता है और डीसीबी बैंक के पास इसमें सीमित गुंजाइश होती है। बैंक शुल्क की अनुसूची के अनुसार लागू होने पर लागू दर पर संबंधित मार्क अप लेने का निर्णय ले सकता है।

एक समझौता, एक अग्रीमेंट

डीसीबी डेबिट कार्ड को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें

महत्वपूर्ण- कृपया सुनिश्चित करें कि आपने डीसीबी डेबिट कार्ड का उपयोग करने से पहले इन डेबिट कार्ड नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ा है। डेबिट कार्ड का उपयोग करके आप बिना शर्त स्वीकार कर रहे हैं और यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों से बंधे हैं और आप संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) विनियम, विनिमय नियंत्रण विनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 ('अधिनियम') से बंधे हैं। अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ग्रहण करें, इस अधिनियम के तहत सभी नियमों और विनियमों को तैयार करें और समय-समय पर और समय-समय पर लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अनुसार संशोधित / संशोधित / लागू करें। आप डीसीबी बैंक में अपने बचत बैंक खातों / चालू खातों या किसी अन्य लागू खाते के कामकाज के नियमों और शर्तों से भी बाध्य होंगे।

कार्ड वैधता और कार्डधारक दायित्व

- कार्ड का निर्गम और उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक और फेमा 19 द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और विनियमों के अधीन होगा। निर्गम और उपयोग भी इसमें निहित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।
- यह कार्ड केवल डीसीबी बैंक के एटीएम और वीजा एटीएम, भारत और विदेशों में बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत लेनदेन विकल्पों के लिए मान्य होगा।
- कार्ड हर समय डीसीबी बैंक की संपत्ति होगी और डीसीबी बैंक के अनुरोध के अनुसार बिना शर्त और तुरंत डीसीबी बैंक को वापस कर दी जाएगी। कार्डधारक से अनुरोध है कि कार्ड जारी करने से पहले बैंक अधिकारी की पहचान स्थापित कर ली गई है।
- डेबिट कार्ड किसी भी परिस्थिति में कार्डधारक द्वारा हस्तांतरणीय या निर्दिष्ट नहीं है।
- आपको रसीद मिलने के तुरंत बाद कार्ड पर हस्ताक्षर करना होगा। आपको किसी अन्य व्यक्ति को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और कार्ड को हर समय अपने व्यक्तिगत नियंत्रण में रखकर कार्ड को दुरुपयोग से बचाना चाहिए।
- कार्डधारक द्वारा कार्डधारक के साथ उपयोग की जाने वाली व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) कार्डधारक द्वारा कार्डधारक के साथ उपयोग की जाने वाली व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) या कार्डधारक द्वारा पिन के रूप में चुनी गई किसी भी संख्या का उपयोग केवल कार्डधारक को पता होगा और कार्डधारक के व्यक्तिगत उपयोग के लिए है और गैर-हस्तांतरणीय और सख्ती से गोपनीय है। पिन नंबर का लिखित रिकॉर्ड किसी भी रूप, स्थान या तरीके से नहीं रखा जाना चाहिए ताकि इसका उपयोग किसी तीसरे पक्ष द्वारा आसान बनाया जा सके। किसी भी मामले में या किसी भी माध्यम से बैंक के कर्मचारियों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए खुलासा किया जाना चाहिए।
- कार्ड के उपयोग से प्रभावित किसी भी निकासी, हस्तांतरण और अन्य लेनदेन की राशि के साथ कार्डधारक के खाते को तुरंत डेबिट कर दिया जाएगा। कभी-कभी लेनदेन राशि और / या नोट्स, अधिभार या असाधारण लेनदेन राशि बाद में / बाद की तारीख में आपके खाते में डेबिट की जाती है। कार्डधारक ऐसे किसी भी लेनदेन को करने के लिए खाते में पर्याप्त धन रखेगा।
- कार्डधारक को कार्डधारकों के डीसीबी बैंक खातों (खातों) को ओवरड्रा करने या किसी भी अनुमोदित ओवरड्राफ्ट से अधिक डेबिट कार्ड का उपयोग करके धन निकालने का अधिकार नहीं होगा।
- कार्डधारक कार्ड के उपयोग के कारण होने वाले लेनदेन के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे वह कार्डधारक द्वारा अधिकृत हो या नहीं, और कार्ड या संबंधित पिन के किसी भी अनधिकृत उपयोग के कारण होने वाली किसी भी क्षति या क्षति के लिए, जिसमें डीसीबी बैंक को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत आरबीआई के दिशानिर्देशों या विनियमों के तहत विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत उत्पन्न होने वाली किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के साथ मुआवजा दिया जाएगा। उल्लंघन के परिणामस्वरूप या भारत में और / या किसी अन्य देश में / जैसा कि राज्य ब्लॉक / क्षेत्र अधिनियम लागू है और / या किसी अन्य देश में / जहां करार की अवधि समाप्त हो गई है, उस समय विश्व में कहीं भी स्थित एक राज्य ब्लॉक / राज्यक्षेत्र होगा।
- आपसे अनुरोध है कि आप ध्यान दें कि डेबिट कार्ड जारीसूचित महीने / वर्ष के अंतिम दिन तक वैध है। इसके द्वारा आप डेबिट कार्ड को इसकी समाप्ति के अंत में कई टुकड़ों में तोड़कर नष्ट करने का वादा करते हैं। आपके खाते के संचालन का मूल्यांकन करने के बाद डीसीबी बैंक के विवेक पर आपका नवीनीकृत डेबिट कार्ड कार्ड की समाप्ति से पहले आपको भेज दिया जाएगा। डीसीबी बैंक समाप्ति पर आपके कार्ड खाते को नवीनीकृत करने का एकमात्र अधिकार सुरक्षित रखता है।
- कार्डधारक डीसीबी बैंक द्वारा भेजे गए खाते के विवरण पर एटीएम / मर्चेंट प्रतिष्ठान में लेनदेन विवरण में मौजूद किसी भी अनियमितता या विसंगतियों के विवरण की तारीख से 15 दिनों के भीतर डीसीबी बैंक को लिखित रूप में सूचित करेगा। इस अवधि के दौरान ऐसी किसी भी सूचना

के अभाव में, डीसीबी बैंक इन दोनों लेनदेन की शुद्धता और खाता विवरण ग्रहण करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय उपयोग

- कार्ड का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के विनिमय नियंत्रण नियमों के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए। यदि आप अनुपालन करने में विफल रहते हैं, तो आप विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं और डीसीबी बैंक या आरबीआई के कहने पर डीसीबी बैंक या आरबीआई से डेबिट कार्ड ले जाने पर डेबिट कार्ड ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप आरबीआई के विनिमय नियंत्रण नियमों का अनुपालन न करने से उत्पन्न होने वाले किसी भी / सभी परिणामों से हानिरहित डीसीबी बैंक को मुआवजा और पकड़ेंगे।
- डेबिट कार्ड नेपाल और भूटान में विदेशी मुद्रा लेनदेन (यानी स्थानीय मुद्रा या भारतीय रुपये के बिना किसी भी मुद्रा में) के लिए मान्य नहीं है।
- विदेशी लेनदेन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को समय-समय पर बैंक द्वारा तय लेनदेन राशि या किसी अन्य दर के 3% द्वारा चिह्नित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि कार्डधारकों से वीजा इंटरनेशनल से मार्क-अप नहीं लिया जाता है।
- डीसीबी बैंक किसी भी देयता के अधीन नहीं होगा और कार्डधारक द्वारा समय-समय पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विदेशी मुद्रा अधिकारों से अधिक होने के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क के गिरने से होने वाले नुकसान या नुकसान के संबंध में क्षतिपूर्ति माना जाएगा, जिससे डीसीबी बैंक को पता चलेगा कि यह कार्डधारक द्वारा अपनी पात्रता से अधिक है।
- अनिवासी भारतीय एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य डेबिट कार्ड रख सकते हैं, बशर्ते भारत / विदेश में इसके उपयोग से उत्पन्न सभी बकाया राशि डीसीबी द्वारा आयोजित एनआरई खाते से पूरी की गई हो।
- आप किसी भी अवैध खरीद के लिए भुगतान करने के लिए कार्ड का उपयोग नहीं करने की गारंटी देते हैं, उदा। भारतीय रिजर्व बैंक / किसी अन्य विद्यमान सांविधिक विनियमों द्वारा अनुमत वस्तुओं / सेवाओं की खरीद के लिए।

व्यापारी आस्थापना उपयोग

- कार्ड को भारत और विदेशों में व्यापारी प्रतिष्ठानों में सभी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनलों पर वीजा / इलेक्ट्रॉन लोगो प्रदर्शित करते हुए स्वीकार किया जाता है।
- कार्ड केवल इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के लिए है और केवल इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल स्वाइप टर्मिनल वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में स्वीकार किया जाएगा। मेल ऑर्डर या टेलीफोन ऑर्डर लेनदेन में कार्ड का कोई भी उपयोग अनधिकृत माना जाएगा और कार्डधारक ऐसे लेनदेन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा। कृपया ध्यान दें कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल स्वाइप टर्मिनलों पर डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए पिन की आवश्यकता नहीं है।
- यदि कार्डधारक के पास पहले से ही डीसीबी एटीएम कार्ड है, तो डेबिट कार्ड जारी करने पर एटीएम कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
- जब भी कार्ड का उपयोग व्यापारिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है, तो आपको बिक्री पर्ची पर हस्ताक्षर करने और बिक्री पर्ची की अपनी प्रति रखने की आवश्यकता होती है। डीसीबी बैंक बिक्री पर्ची की प्रतियां नहीं देगा। कोई भी बिक्री पर्ची आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित नहीं की जाती है, लेकिन जिसे साबित किया जा सकता है, जैसा कि आपको अधिकृत माना जाएगा।
- डेबिट कार्ड दुनिया भर में किसी भी वीज़ा कार्ड व्यापारी आउटलेट पर स्वीकार किए जाते हैं। डीसीबी बैंक हमारे साथ व्यवसायी द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन के लिए कोई दायित्व स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें इस तरह से प्राप्त या प्रस्तावित वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति तक सीमित नहीं है। यदि आपको किसी भी वीजा कार्ड व्यापारी प्रतिष्ठान से संबंधित कोई शिकायत है, तो आपको व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ मामले को निपटाना चाहिए और यदि नहीं, तो आपको डीसीबी बैंक की किसी भी देयता से छूट नहीं दी जाएगी।
- डीसीबी बैंक किसी भी व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा ली गई लेनदेन राशि के साथ आपके खाते में डेबिट किए गए लेनदेन के मूल्य से अधिक शुल्क की कोई देयता स्वीकार नहीं करता है।
- वस्तुओं / सेवाओं को रद्द करने के लिए खरीद और उसके बाद के ऋण दो अलग-अलग लेन-देन हैं। रिफंड केवल आपके खाते में जमा किया जाएगा (कम रद्दीकरण शुल्क) जब यह व्यापारी से प्राप्त होता है। यदि रिफंड की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपके कार्ड खाते में क्रेडिट पोस्ट नहीं किया जाता है, तो आपको क्रेडिट की एक प्रति के साथ डीसीबी बैंक को सूचित करना होगा।
- कई खातों से जुड़े कार्ड के मामले में, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में लेनदेन केवल प्राथमिक खातों पर किया जाएगा। यदि इन खातों में अपर्याप्त धन है, तो डीसीबी बैंक लेनदेन का सम्मान नहीं करेगा, भले ही आवश्यक धन कार्ड से जुड़े अन्य खातों में कई बार समेकित या उपलब्ध हो।
- कार्ड का उपयोग चेक-इन के दौरान होटलों और अन्य स्थानों पर नहीं किया जा सकता है जहां खरीद लेनदेन या सेवा पूरी होने से पहले भुगतान की व्यवस्था की जाती है।
- कार्ड का उपयोग किसी भी मेल ऑर्डर / फोन खरीद के लिए नहीं किया जाना चाहिए और इस तरह के किसी भी उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा।
- कार्ड का उपयोग विदेशी पत्रिकाओं / पत्रिकाओं की सदस्यता भरने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और इस तरह के किसी भी उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा।
- कार्डधारक सभी अनधिकृत कृत्यों और लेनदेन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

- कभी-कभी लेनदेन राशि और / या नोट्स, अधिभार या असाधारण लेनदेन राशि बाद में / बाद की तारीख में आपके खाते में डेबिट की जाती है।
- कृपया सुनिश्चित करें कि आपके खाते को सुझाव, पेट्रोल से संबंधित डेबिट / रेलवे अधिभार या किसी अन्य असाधारण लेनदेन को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया गया है जो आपके खाते में देर से डेबिट किए जाते हैं।
- यदि आपका कार्ड स्वीकार नहीं किया जाता है या पीओएस (सदस्य प्रतिष्ठान / मर्चेंट प्लेस) पर किसी भी कारण से कोई लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाता है तो बैंक उत्तरदायी नहीं है।

एटीएम का उपयोग

- यह कार्ड दुनिया भर में डीसीबी बैंक एटीएम और वीजा / प्लस एटीएम में स्वीकार किया जाता है।
- डीसीबी डेबिट कार्ड का उपयोग भारत और विदेशों में किसी भी वीजा एटीएम पर नकद निकासी और शेष पूछताछ के लिए भी किया जा सकता है।
- डीसीबी बैंक के एटीएम या भारत और विदेश में किसी भी वीजा एटीएम पर नकद निकासी / शेष पूछताछ / अन्य लेनदेन के लिए शुल्क सेवा शुल्क अनुसूची के अनुसार होगा। वर्तमान लागू दर के लिए, कृपया इस पुस्तिका के प्रासंगिक अनुभाग को देखें। कृपया अपने निकटतम डीसीबी बैंक शाखा से संपर्क करें या अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं।
- निकासी के समय सभी नकदी, चेक / नकद जमा, जमा या निकासी की निकासी के समय एटीएम द्वारा जारी किए गए किसी भी विवरण / रसीद को निर्णायक माना जाएगा, जब तक कि डीसीबी बैंक द्वारा अन्यथा सत्यापित और अधिसूचित न किया जाए। इस तरह का कोई भी सत्यापन अंतिम और निर्णायक भी होगा और यह सत्यापित राशि कार्डधारक पर बाध्यकारी होगी।
- डीसीबी बैंक कोई सेवा प्रदान करने में विफलता या उसके तहत किसी भी दायित्व का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जहां वह एटीएम या कार्ड की किसी भी खराबी (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) के लिए उत्तरदायी है, धन की अस्थायी अपर्याप्तता, कोई विवाद नहीं है या इसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों में है।
- डीसीबी बैंक कार्ड और संबंधित पिन के नुकसान या उपयोग से उत्पन्न या संबंधित किसी भी परिणामी या अप्रत्यक्ष क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे कोई भी कारण हो।
- जिस देश में कार्ड जारी किया गया था, उसके अलावा किसी अन्य देश में एटीएम सेवाओं की उपलब्धता भी उस देश में लागू स्थानीय नियमों द्वारा विनियमित होती है। यदि इन सेवाओं को बिना किसी सूचना के वापस ले लिया जाता है तो डीसीबी बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
- यदि आपका कार्ड स्वीकार नहीं किया जाता है या किसी भी एटीएम में किसी भी कारण से कोई लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाता है तो बैंक उत्तरदायी नहीं है।

शुल्क

- वार्षिक शुल्क लागू दर पर आपके प्राथमिक खाते में डेबिट किया जाएगा। यह शुल्क वापसी योग्य नहीं है। अन्य सेवाओं के लिए शुल्क प्रचलित दर पर प्राथमिक खाते में लिया जाएगा।
- जहां नकद निकासी / शेष पूछताछ और / या अन्य लेनदेन के लिए लेनदेन शुल्क लागू होते हैं, लेनदेन राशि डेबिट प्रविष्टि पोस्ट करते समय या दिन के अंत में खाते में डेबिट की जाएगी।
- कार्डधारक के बैंक खाता विवरण में विदेशी मुद्रा में सभी शुल्क भारतीय रुपये में बिल किए जाएंगे। आप समय-समय पर डीसीबी बैंक को विदेशी मुद्रा में किए गए शुल्क और डीसीबी बैंक / वीजा को वीजा असाइन कर सकते हैं।
- डेबिट कार्ड के उपयोग पर लागू शुल्क को डीसीबी बैंक द्वारा कार्डधारक को पूर्व सूचना के बिना समय-समय पर बदला जा सकता है।
- इन नियमों और शर्तों में दिखाई देने वाले कोई भी शुल्क / शुल्क सेवा कर और / या समय-समय पर लागू कोई अन्य उपकर / कर नहीं हैं।

डेबिट कार्ड की विशेषताएं

- बैंक, समय-समय पर, आपके विवेक पर, आपके डेबिट कार्ड पर विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ गठजोड़ कर सकता है। ये सभी विशेषताएं केवल सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर होंगी और बैंक किसी भी सेवा प्रदाता / व्यापारियों / आउटलेट्स / एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सेवा के किसी भी उत्पाद की प्रभावकारिता, उपयोगिता की गारंटी या गारंटी नहीं देता है। विवाद (यदि कोई हो) को बैंक को शामिल किए बिना व्यापारियों / एजेंसियों आदि द्वारा सीधे संपर्क किया जाना चाहिए।

खुली जानकारी

- इन नियमों और शर्तों के माध्यम से, कार्डधारक डीसीबी बैंक लिमिटेड को इस व्यवस्था के लिए तकनीकी / प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता के साथ कार्ड / खाताधारक और उसके संचालन के डेटा को साझा करने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है।
- डीसीबी बैंक और / या उसके सहयोगी के अनुरोध पर, आप डीसीबी बैंक और / या उसके सहयोगी को आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी मामले से संबंधित कोई भी जानकारी, रिकॉर्ड या प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। आप डीसीबी बैंक और / या उसके सहयोगी को किसी भी माध्यम या किसी भी स्रोत द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सत्यता को सत्यापित करने के लिए अधिकृत करेंगे। यदि डेटा प्रदान नहीं किया गया है या इसके किसी भी सहयोगी को। यदि गलत है, तो डीसीबी बैंक और / या उसके सहयोगी, अपने विवेक पर, कार्ड को नवीनीकृत करने या कार्ड को तुरंत रद्द करने से इनकार कर सकते हैं।

- डीसीबी बैंक और / या उसके सहयोगियों के पास सक्षम अधिकार क्षेत्र की किसी भी अदालत, अर्ध-न्यायिक / वैधानिक / नियामक प्राधिकरणों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य शाखा में अपनी सूचना और / या दस्तावेजों का खुलासा करने का अधिकार सुरक्षित है।
- डीसीबी बैंक और / या उसके सहयोगी को कार्डधारक के खाते से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का अधिकार है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेटवर्क में उसकी भागीदारी के बारे में आवश्यक या उपयुक्त हो सकता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि डीसीबी बैंक और / या उसके सहयोगी कार्डधारक द्वारा विदेशी मुद्राओं में किए गए खर्चों की सूचना आरबीआई या किसी अन्य सांविधिक / विनियामक प्राधिकरण को देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, कार्डधारक (कार्डधारक) द्वारा स्वीकार्य अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता है और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का उल्लंघन नहीं किया जाता है।
- कार्डधारक इस बात से सहमत है कि बैंक और / या उसके सहयोगी, सख्त विश्वास में, अन्य संस्थाओं को व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा कर सकते हैं, जो शामिल कारणों के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो सकता है, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं है:
    a. किसी भी दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन नेटवर्क में भागीदारी के लिए,
    b. कानूनी निर्देश के अनुपालन में,
    c. एक मान्यता प्राप्त क्रेडिट स्कोरिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग के लिए,
    d. धोखाधड़ी की रोकथाम के उद्देश्य से, और
    e. सूचना ब्यूरो को श्रेय देने के लिए।
- कार्डधारक आगे इस बात से सहमत है कि बैंक और / या उसके सहयोगी किसी भी विपणन एजेंट (एजेंट) और / या ठेकेदारों द्वारा क्रॉस-सेलिंग के उद्देश्य से खाता खोलने के फॉर्म में प्रदान की गई जानकारी का खुलासा कर सकते हैं, जिनके साथ बैंक और / या उसके सहयोगी पहुंच रखते हैं या कोई अन्य जिनके साथ सेवाएं / उत्पाद प्रदान करने के संबंध में प्रणाली, जिसमें विभिन्न वित्तीय उत्पादों की क्रॉस-बिक्री शामिल है, बिना किसी सीमा के शामिल है।

खोया हुआ या चोरी हुआ कार्ड

- यदि कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो घटना को तुरंत डीसीबी बैंक शाखा या हेल्पलाइन को तत्काल संचार के त्वरित तरीके से सूचित किया जाना चाहिए और उसके बाद एक लिखित संचार किया जाना चाहिए। कबूल की गई पुलिस शिकायत की एक प्रति इस लिखित पुष्टि के साथ होनी चाहिए।
- यदि डीसीबी बैंक ने कार्ड खो जाने या चोरी होने के बाद लेनदेन प्राप्त किया है, लेकिन आप अपनी लिखित पुष्टि प्राप्त करने से पहले खातों में डेबिट की गई सभी राशि के लिए उत्तरदायी होंगे। हालांकि, यदि नुकसान / चोरी को तुरंत लिखित रूप में सूचित किया गया है और आपने अच्छी नीयत से और उचित देखभाल और परिश्रम के साथ काम किया है, तो खरीद लेनदेन के लिए आपकी खोई हुई कार्ड देयता शून्य होगी (एक बार नुकसान लिखित रूप में रिपोर्ट किया जाता है)। एटीएम के माध्यम से की गई नकद निकासी पर ऐसा कोई कवरेज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे लेनदेन के लिए पिन के उपयोग की आवश्यकता होती है, जो गोपनीय है और केवल आप जानते हैं।
- आप इसके द्वारा डीसीबी बैंक को कार्ड के नुकसान या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी देयता / (सिविल या आपराधिक), नुकसान, व्यय, व्यय या नुकसान के खिलाफ पूरी तरह से मुआवजा देने का वादा करते हैं यदि यह गायब है और डीसीबी बैंक को सूचित नहीं किया गया है, या यदि बैंक को सूचित करने से पहले डीसीबी खो गया है और दुरुपयोग किया गया है। यदि आपने सभी मामलों में नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है, इसलिए प्रतिस्थापन कार्ड डीसीबी बैंक के विवेकानुसार लागू शुल्क पर जारी किया जा सकता है।
- यदि यह पता लगाया जाता है कि आप कार्ड को संभालने में बेहद लापरवाह या धोखेबाज हैं, तो बैंक खोए हुए कार्ड / चोरी किए गए कार्ड का उपयोग करके धोखाधड़ी से धनवापसी / पुनर्भुगतान के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा। यदि आपके अभ्यावेदन और / या आपके द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी के आधार पर आपके खाते में कोई राशि जमा की जाती है, तो बैंक धोखाधड़ी वाले रिटर्न / पुनर्भुगतान के लिए आपसे कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा। पूर्व सूचना की वसूली करेंगे। आप डीसीबी बैंक को आपकी लापरवाही या नकली कार्डों को संभालने से उत्पन्न किसी भी देयता, हानि, लागत, नुकसान के खिलाफ पूरी तरह से मुआवजा देने का वादा करते हैं।
- यदि आप बाद में कार्ड पुनर्प्राप्त करते हैं, तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। कृपया कार्ड को चुंबकीय पट्टी के साथ कई टुकड़ों में तोड़कर नष्ट करें।

समानीकरण (Harmonisation) - असफल / विफल लेनदेन

रिसर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) के परिपत्र के अनुसरण में "आरबीआई / 2019-20/67 डीपीएसएस. को. पीडी नं. 629 / दिनांक 20 सितंबर, 2019 को 01.014/2019-20" टर्न अराउंड टाइम (TAT) के समानीकरण और अधिकृत समय का उपयोग करके असफल लेनदेन के लिए ग्राहक मुआवजे पर, बैंक ने ऐसी स्थितियों को संभालने के लिए एक प्रक्रिया को परिभाषित किया है।

विफल लेनदेन के लिए राशि ग्राहक के खाते में नीचे दी गई निर्धारित समयरेखा के भीतर वापस कर दी जाएगी, ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज करने की प्रतीक्षा किए बिना:

लेन-देन चैनल और विफल लेन-देन परिदृश्य	टर्न अराउंड टाइम (TAT) बदलें, जहां T घटना की तारीख है
एटीएम निकासी (माइक्रो एटीएम सहित) - डीसीबी बैंक या अन्य बैंक एटीएम से नकदी नहीं निकलती है	T+5
पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) लेनदेन	T+5
फिजिकल कार्ड के बिना कार्ड लेनदेन (CNP) / ऑनलाइन (ई-कॉमर्स) लेनदेन	T+5

कृपया ध्यान दें:

1. प्रीपेड कार्ड (PPI), पीओएस(POS) से राशि निकासी, कार्ड से कार्ड लेनदेन, ये सुविधाएं फ़िलहाल उपलब्ध नहीं हे।

उपयोगकर्ता /ग्राहक को देय मुआवजा: यदि देरी उपर्युक्त टीएटी(TAT) से अधिक हो जाती है, तो उपयोगकर्ता / ग्राहक से किसी भी शिकायत या दावे की प्रतीक्षा किए बिना उपयोगकर्ता / ग्राहक के खाते में प्रति दिन ₹100 का मुआवजा दिया जाएगा।

बीमा

- आप सहमत हैं कि कार्ड पर प्रदान किया गया बीमा लाभ आपके लिए लागू प्रासंगिक बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार उपलब्ध होगा और केवल तब तक उपलब्ध होगा जब तक आप हैं और डीसीबी बैंक के सक्रिय कार्डधारक बने रहेंगे।
- शून्य खोया कार्ड देयता कवरेज एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (या कोई अन्य बीमा कंपनी जिसके माध्यम से बैंक समय-समय पर समझौते कर सकता है) कार्डधारकों को प्रदान किया जाता है जिनके नियम, शर्तें और निर्णय, जिनके लिए डीसीबी बैंक उत्तरदायी नहीं है, लागू होंगे।
- आपको मामले की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।
- डीसीबी बैंक दावों के किसी भी विलंबित निपटान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

स्टेटमेंट और रिकॉर्ड

- कार्ड लेनदेन का रिकॉर्ड डीसीबी बैंक द्वारा भेजे गए खाता विवरण पर उपलब्ध होगा। इस तरह के खाता विवरण कार्डधारक को समय-समय पर कार्डधारक द्वारा दर्शाए गए प्राथमिक खाते के अनुरूप मेलिंग पते पर मेल किए जाएंगे। कार्डधारक किसी भी समय डीसीबी फोन बैंकिंग सेवा पर कॉल करके या डीसीबी बैंक एटीएम पर मिनी स्टेटमेंट सुविधा का उपयोग करके अपने लेनदेन का विवरण प्राप्त कर सकता है।
- कार्ड के उपयोग के माध्यम से डीसीबी बैंक द्वारा संसाधित लेनदेन का रिकॉर्ड निर्णायक और सभी कारणों से बाध्यकारी होगा।

विवाद

- खरीद लेनदेन के मामले में, कार्डधारक के हस्ताक्षर और उस पर उल्लिखित कार्ड नंबर के साथ बिक्री पर्ची डीसीबी बैंक और / या उसके सहयोगी के बीच निर्णायक प्रमाण होगी और कार्डधारक को कार्डधारक और डीसीबी बैंक और / या उसके सहयोगी द्वारा की गई देयता की आवश्यकता नहीं होगी कि कार्डधारक द्वारा सेवा से खरीदा गया / प्राप्त सामान कार्डधारक द्वारा कार्डधारक द्वारा प्राप्त किया गया है।
- डीसीबी बैंक और / या उसके सहयोगी किसी व्यथित कार्डधारक की असहमति को हल करने के लिए ईमानदार और उचित प्रयास करेंगे, जो खाता विवरण में उल्लिखित या कार्डधारक द्वारा निर्धारित असहमति की सूचना प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर तय किया जाता है। यदि ऐसे प्रयासों के बाद डीसीबी बैंक और / या उसके सहयोगी यह निर्धारित करते हैं कि शुल्क उचित है, तो यह कार्डधारक को सूचित करेगा।
- साझा नेटवर्क एटीएम लेनदेन के बारे में किसी भी विवाद को वीजा नियमों के अनुसार हल किया जाएगा। बैंक और उसके सहयोगी कार्डधारक साझा नेटवर्क के साथ किए गए किसी भी लेनदेन के लिए जिम्मेदारी और देयता स्वीकार नहीं करते हैं। यदि कार्डधारक को किसी भी साझा नेटवर्क एटीएम से संबंधित कोई शिकायत है, तो साझा नेटवर्क वाले कार्डधारक को मामले को हल करना चाहिए और ऐसा नहीं करने पर उसे बैंक और उसके सहयोगी पर किसी भी देनदारियों से मुक्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, कार्डधारक को तुरंत शिकायत के बारे में बैंक और अपने सहयोगी को सूचित करना चाहिए।
- डीसीबी बैंक और / या इसके सहयोगी कार्ड का सम्मान करने के लिए किसी भी व्यापारी प्रतिष्ठान को अस्वीकार करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं।
- इन नियमों और शर्तों को भारत के कानूनों के अनुसार और उनके अनुसार माना जाएगा। सभी विवाद भारत में बॉम्बे की अदालतों के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं, भले ही इस मामले में किसी अन्य अदालत का समवर्ती अधिकार क्षेत्र हो।
- कार्डधारक बकाया राशि की वसूली, कानूनी खर्चों (चाहे किसी एजेंट को मामले को संदर्भित करना आवश्यक हो गया है) या उन सभी खर्चों के लिए उत्तरदायी होगा जहां विवादों के समाधान के लिए कानूनी संसाधनों का उपयोग किया गया है।
- बैंक और / या इसके सहयोगी भारत गणराज्य के अलावा किसी भी देश के कानूनों का पालन नहीं करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं। तथ्य यह है

कि किसी भी सेवा तक पहुंच कार्डधारक द्वारा इंटरनेट, मोबाइल या फोन के माध्यम से भारत के अलावा किसी अन्य देश से एक्सेस की जा सकती है, इस तथ्य के रूप में नहीं माना जाएगा कि उस देश के कानून इन शर्तों और / या कार्डधारक की खाता शर्तों और / या संचालन और / या इनमें से किसी भी सेवा के उपयोग को नियंत्रित करते हैं।

सामान्य(जनरल)

- आप तुरंत डीसीबी बैंक को अपने रोजगार और / या कार्यालय और / या आवासीय पते और टेलीफोन नंबरों में किसी भी बदलाव के बारे में लिखित रूप में सूचित करेंगे।
- डीसीबी बैंक किसी भी नियम और शर्तों को जोड़ने, हटाने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। डेबिट कार्ड का उपयोग, उस तारीख के बाद जिस तारीख को इनमें से कोई भी परिवर्तन लागू किया जाना है, उसे आरक्षण के बिना स्वीकृति के प्रमाण के रूप में लिया जाएगा।
- यहां डाक द्वारा भेजा गया कोई भी नोटिस डीसीबी को दिए गए अंतिम पते पर अधिसूचना पोस्ट करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर कार्डधारक द्वारा प्राप्त माना जाएगा। कार्डधारक बैंक को लिखित में परिवर्तन प्रकाशित करेगा। डीसीबी बैंक इस तरह से कार्डधारक के लिए एक प्रभावी सुझाव होगा।
- यदि कोई खाताधारक कार्ड का उपयोग करके डीसीबी बैंक द्वारा अनुमत उपलब्ध शेष राशि या ओवरड्राफ्ट सीमा से अधिक निकालता है, तो खाताधारक डीसीबी बैंक को ब्याज के साथ ओवर-ड्रॉ की पूरी राशि का भुगतान बिना शर्त करेगा और जुर्माना, यदि कोई हो, डीसीबी बैंक द्वारा निर्धारित दर पर। हालांकि, इसे एक अनुबंध के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, या तो व्यक्त किया जाना चाहिए या निहित है कि डीसीबी बैंक किसी भी ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य है।
- डीसीबी बैंक कार्डधारकों को छूट जैसे लाभ प्रदान करने वाले तीसरे पक्ष द्वारा दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

समाप्ती (टर्मिनेशन)

- डीसीबी के पास बैंक कार्ड या किसी भी समय दी जाने वाली किसी भी अन्य सेवा को बिना पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए रद्द करने / वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है।
- यदि कार्डधारक डीसीबी बैंक में अपना खाता बंद करने का निर्णय लेता है, तो इस खाते (कार्ड) के साथ जारी कार्ड स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा। कार्डधारक को तुरंत अपने कार्ड का उपयोग बंद कर देना चाहिए और इस खाते से जुड़ा उसका कार्ड नष्ट और वापस कर दिया जाना चाहिए। किसी भी बकाया कार्ड लेनदेन के मामले में जो अभी तक खाते में डेबिट नहीं किया गया है। डीसीबी बैंक द्वारा अपना फंड लौटाने से पहले शेष राशि से निकाल लिया जाएगा।
- यदि कार्डधारक डेबिट कार्ड का उपयोग बंद करने का निर्णय लेता है, तो कार्डधारक डीसीबी बैंक को लिखित रूप में सूचित करेगा और कार्ड को तुरंत वापस कर देगा और तुरंत चुंबकीय पट्टी द्वारा कार्ड और किसी भी अतिरिक्त कार्डधारक के कार्ड (यदि आवश्यक नहीं है) वापस कर देगा, तो डीसीबी बैंक कई टुकड़ों में कट जाएगा। कार्डधारक कार्ड को कार्ड नष्ट करने का दावा करने के बाद डेबिट कार्ड पर किए गए सभी कार्ड सुविधाओं और संबंधित शुल्कों के लिए उत्तरदायी होगा। इन नियमों और शर्तों के निष्पादन के अंत के साथ कोई संबंध नहीं है। बैंक को सूचित किया गया है कि कार्डधारक डेबिट कार्ड पर किए गए सभी शुल्कों के लिए उत्तरदायी होगा या नहीं, दुरुपयोग / धोखाधड़ी के उपयोग का परिणाम है और कार्ड नष्ट हो गया है।
- कार्ड डीसीबी बैंक की संपत्ति है और अनुरोध पर डीसीबी बैंक के अधिकारी को तुरंत और बिना शर्त वापस करने की आवश्यकता है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने अपने कार्ड को संभालने से पहले बैंक अधिकारी की पहचान स्थापित कर ली है।
- डीसीबी बैंक के पास डेबिट कार्ड की सुविधा को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की शक्ति होगी और निम्नलिखित में से किसी भी घटना के होने के बाद कार्ड वापस कर दिया जाएगा।

i) यहां निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने में विफलता।

ii) डीसीबी बैंक के साथ किए गए समझौते या प्रतिबद्धता (आकस्मिकता या अन्यथा) के तहत चूक की घटना।

iii) कार्डधारक किसी भी दिवाला, दिवालियापन कार्यवाही या इसी तरह की कार्यवाही का विषय बन जाता है।

iv) कार्डधारक की मृत्यु।

v) कार्डधारक के खाते को बंद करने या बताए गए खाते में न्यूनतम औसत शेष राशि बनाए रखने में विफलता।

- डेबिट कार्ड को डीसीबी बैंक को किसी भी तारीख से पहले वापस कर दिया जाना चाहिए, जिस दिन कोई शुल्क लागू होना है, कार्डधारक द्वारा प्रस्तावित किसी भी बदलाव से इनकार करने की स्थिति में कार्ड पर लागू सुविधाएं, शुल्क या नियम और शर्तें।

नोट

- कृपया ध्यान दें कि डीसीबी बैंक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लेता है। हालांकि, रेलवे और पेट्रोल पंप जैसी कुछ वाणिज्यिक श्रेणियां हैं, जहां कार्ड का उपयोग करने के लिए अधिभार है। पेट्रोल पंपों पर अधिभार खरीद बिल का 2.5% या ₹10 / - जो भी अधिक हो, जो भी अधिक हो और रेलवे पर प्रति लेनदेन ₹30 अतिरिक्त है। ये आपके खाते में अलग से डेबिट किए जाएंगे और अलग-अलग प्रविष्टियों के रूप में दिखाई देंगे।
- ये शुल्क वर्तमान में लागू हैं और समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपने निकटतम डीसीबी बैंक शाखा से संपर्क करें।

- सेवा कर और / अथवा उपर्युक्त प्रभारों / प्रभारों में कोई अन्य उपकर / कर समय-समय पर लागू नहीं होते हैं।

हेल्प लाईन

- आप हमें ग्राहक सेवा केंद्र नंबर (022) 6899 7777 / (040) 6815 7777 पर कॉल करें, या हमें ईमेल करें customercare@dcbbank.com, या हमें लिखें डीसीबी बैंक, एनपीसी, नंबर 2, थानिकाचलम रोड, टी नगर, चेन्नई- 600017 पर, विजिट करें www.dcbbank.com पर।

सामान्य खंड

सभी खाते / सेवाओं पर लागू:

1. दायित्व:

a. मैं सहमत हूं और यह सुनिश्चित करने का वचन देता हूं कि लेनदेन को प्रभावित करने के लिए मेरे खाते में पर्याप्त धन / स्वीकृत शेष राशि / पूर्व-व्यवस्थित क्रेडिट सुविधाएं हैं। मैं / हम सहमत हैं कि धन की अपर्याप्तता के कारण मेरे / हमारे निर्देशों का पालन न करने से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा और बैंक आपके विवेक पर निधियों पर निर्णय ले सकता है। अपर्याप्तता के बावजूद नोटिस से बाहर। बैंक उपरोक्त कार्य मेरी पूर्व अनुमति या सूचना के बिना कर सकता है और मैं / हम / हम इसके द्वारा बनाए गए परिणामी अग्रिम ब्याज, ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट के साथ चुकाने के लिए उत्तरदायी होंगे और इससे उत्पन्न सभी संगत प्रभार उधार दर + 5% प्रति वर्ष @Prime। मासिक रूप से संयोजित।

b. मैं / हम इस बात से सहमत हैं कि तकनीकी दोषों / त्रुटियों अथवा दूरसंचार नेटवर्क में किसी प्रकार की विफलता अथवा किसी सॉफ्टवेयर अथवा हार्डवेयर प्रणाली में किसी त्रुटि के कारण किसी सेवा / सुविधा के व्यवधान अथवा अनुपलब्धता के कारण होने वाली किसी हानि, हानि (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

2. प्रकटीकरण (डिस्क्लोसर):

हम सहमत हैं कि बैंक, सख्त विश्वास में, ऐसी व्यक्तिगत जानकारी को अन्य संस्थाओं को प्रकट कर सकता है, जो इसमें शामिल कारणों के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं है:

i) किसी भी दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन नेटवर्क में भागीदारी के लिए।

ii) कानूनी निर्देश के अनुपालन में।

iii) किसी मान्यता प्राप्त क्रेडिट स्कोरिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग के लिए।

iv) धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से और

v) सूचना ब्यूरो को श्रेय देने के लिए।

हम बैंक को किसी भी विपणन एजेंट द्वारा क्रॉस-सेलिंग के उद्देश्य से खाता खोलने के फॉर्म में प्रदान की गई जानकारी का खुलासा करने और / या उन ठेकेदारों के संबंध में कोई व्यवस्था करने के लिए अपनी सहमति देते हैं जिनके साथ बैंक पहुंचता है, या सेवाएं / उत्पाद प्रदान करता है, जिसमें सीमाओं के बिना, विभिन्न वित्तीय उत्पादों की क्रॉस-सेल शामिल है।

3. सिबिल को जानकारी का खुलासा करना:

मैं / हम समझते हैं कि पूर्व शर्त के रूप में, मैं / हम / हम, बैंक को ऋण / अग्रिम / अन्य निधि-आधारित और गैर-निधि-आधारित ऋण सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित हैं।

प्रासंगिक जानकारी और डेटा, क्रेडिट सुविधा के बैंक द्वारा प्रकटीकरण के लिए मेरी / हमारी सहमति आवश्यक है, उस संबंध में मेरी / हमारी सहमति आवश्यक है / मैं / हमारे द्वारा, मेरे / हमारे द्वारा, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा / हमारे द्वारा और डिफ़ॉल्ट रूप से, यदि कोई हो, तो मेरे द्वारा, इसके निपटान में, अनुमानित दायित्व। तदनुसार, मैं / हम इससे सहमत हैं। और बैंक या इस तरह के किसी भी प्रकटीकरण के माध्यम से सभी को सहमति देता है।

- मुझसे संबंधित जानकारी और डेटा।
- किसी भी क्रेडिट सुविधा से संबंधित जानकारी या डेटा जो मुझे प्राप्त हुआ है और
- यदि कोई चूक हुई है, तो मैं अपने / अपने कर्तव्य, जिसे बैंक उचित और आवश्यक समझता है, का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, तो उसका खुलासा करें और इसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड को प्रस्तुत करें। और आरबीआई ने इस संबंध में अधिकृत किया है।

मैं / हम घोषणा करते हैं कि मैंने / हमने बैंक को जो सूचना और आंकडे प्रस्तुत किए हैं, वे सत्य और सही हैं।

मी / हम, इसे हाथ में लेते है

I. क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस प्रकार अधिकृत कोई अन्य एजेंसी बैंक द्वारा प्रकट की गई जानकारी और डेटा का उपयोग, प्रक्रिया, किसी भी तरीके से कर सकती है, जैसा कि वह उनके द्वारा उपयुक्त समझता है; और

I. क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस प्रकार अधिकृत कोई अन्य एजेंसी बैंकों / वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट सब्सिडी या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को विचार, सूचना और संसाधित डेटा या उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों को प्रस्तुत कर सकती है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक को इस संबंध में निर्दिष्ट करना चाहिए।

3. सरकारी अधिनियम:

ये नियम और शर्तें और / या बैंक द्वारा बनाए गए ग्राहक के खातों में संचालन का उपयोग और / या बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का उपयोग भारत गणराज्य और किसी अन्य राष्ट्र के कानूनों द्वारा शासित नहीं होगा।

ग्राहक और बैंक मुंबई, भारत में स्थित न्यायालयों के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर इन नियमों और शर्तों के अनुसार उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या मामलों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं। बैंक भारत गणराज्य के अलावा किसी भी देश के कानूनों का अनुपालन नहीं करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दायित्व स्वीकार

नहीं करते हैं। तथ्य यह है कि इंटरनेट, मोबाइल या फोन के माध्यम से भारत के अलावा किसी अन्य देश में किसी भी सेवा तक उपभोक्ता द्वारा पहुंच बनाई जा सकती है, इसकी केवल व्याख्या नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि उस देश के कानून ग्राहक के बताए गए खातों और / या इनमें से किसी भी सेवा के उपयोग में इन नियमों और शर्तों और / या संचालन को नियंत्रित करते हैं।

4. सामान्य (जनरल):

a. इस समझौते के खंड केवल सुविधा के लिए हैं और सापेक्ष खंड के अर्थ को प्रभावित नहीं करते हैं। मैं / हम इस अनुबंध को किसी और को नहीं सौंपेंगे। इस समझौते के अनुसार बैंक अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए एजेंटों को उप-अनुबंध और नियुक्त कर सकता है।

b. हम बैंक की वेबसाइट पर शर्तों (सामान्य और उत्पाद विशिष्ट) से खुद को अवगत कराएंगे। बैंक के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह समय-समय पर किए गए किसी भी परिवर्तन / अद्यतन के बारे में मुझे सूचित और सूचित करे।

c. हम समझते हैं कि बैंक एफएटीसीए (विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम) / सीआरएस (सामान्य रिपोर्टिंग मानक) के अनुपालन में आवेदक की स्थिति निर्धारित करने के उद्देश्य से इस जानकारी पर निर्भर करता है। बैंक सीआरएस या एफएटीसीए या आवेदक पर इसके प्रभाव पर कोई कर सलाह नहीं दे सकता है। मैं / हम किसी भी कर प्रश्न के लिए एक पेशेवर कर सलाहकार से परामर्श करेंगे।

d. मैं सहमत हूं कि मेरी व्यक्तिगत नो योर कस्टमर (केवायसी) जानकारी केंद्र के साथ साझा की जा सकती है, केवायसी (सीकेवायसी) रजिस्ट्री या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी। मैं अपने पंजीकृत चर संख्या / ईमेल पते के क्रम में बैंक / सीकेवाईसी रजिस्ट्री / सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक या एसएमएस नाम / ईमेल पर कोई अन्य जानकारी प्राप्त करने की सहमति देता हूं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि ऐसे किसी एसएमएस / ईमेल के प्राप्त न होने की स्थिति में बैंक किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

e. यदि, किसी भी कारण से, हमारी कस्टमर केयर टीम या शाखा आपकी चिंता का समाधान करने में असमर्थ है, या यदि आपको 10 कार्य दिवसों के भीतर उनसे कोई संचार प्राप्त नहीं होता है, तो आप संपर्क करे, कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालय के प्रधान नोडल अधिकारी: सुश्री प्रीति धर को, डीसीबी बैंक लिमिटेड, छठी मंजिल, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग लोअर परेल, मुंबई - 400013. दूरभाष: +91 22 6618 7031 ई-मेल: nodal.officer@dcbbank.com

डीसीबी कस्टमर केअर

कॉल: (022) 6899 7777 - (040) 6815 7777

ईमेल : customercare@dcbbank.com

वेब: www.dcbbank.com

DCB Bank Limited